खण्ड-194, अंक-5
शनिवार, 15 चैत्र, शक संवत् 1880
(5 अप्रैल, 1958 ई0)

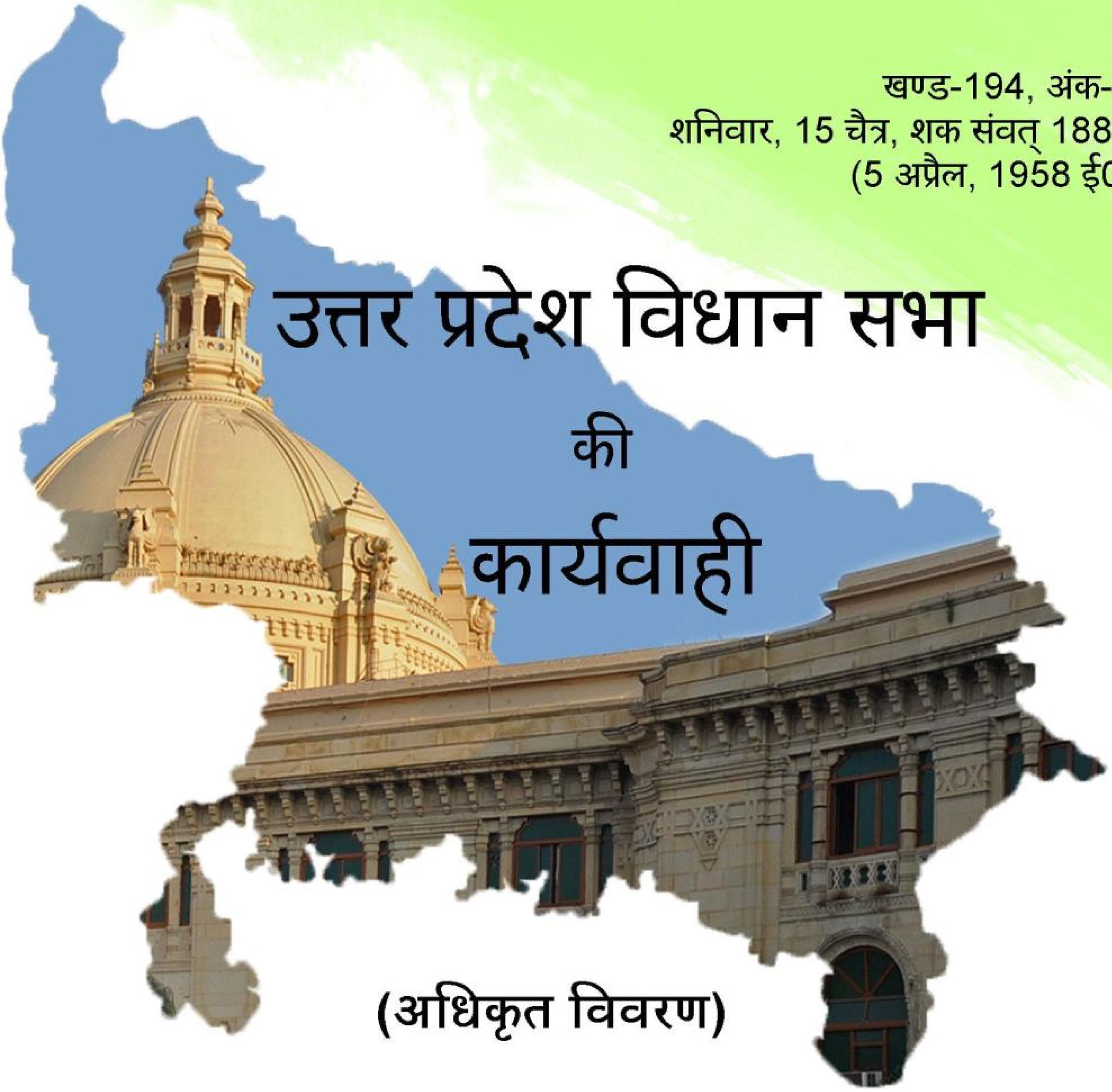

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 194 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, ५ अप्रैल, १९५८ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविंद खर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य (४०४)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अवधेशकुमार सिन्हा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसेन, श्री
इस्तफा हुसेन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशन सिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानी सिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशी राम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्श सिंह, श्री

गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदा देवी, श्रीमती
गेंदा सिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविंदनारायण तिवारी, श्री
गोविंदसहाय, श्री
गोविंदसिंह बिष्ट, श्री
गौरी राम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमुना सिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेव सिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहर लाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमल सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपङ्कर, आचार्य
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त सिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्म सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थू सिंह, श्री (बरेली)
नत्थू सिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमार देव बाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री

नरदेव सिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभान प्रकाश सिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलवान सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबू लाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वर प्रसाद सिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारी लाल, श्री
बुद्धी लाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकी राम, श्री
बृजबासी लाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचन राम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगीतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुल नबी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्ना लाल, श्री
मलखान सिंह, श्री
मलिखान सिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसेन खां, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
मही लाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्ला प्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसेन, श्री
मोती लाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल वर्मा, श्री
मोहन सिंह मेहता, श्री
यमुना प्रसाद शुक्ल, श्री
यमुना सिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपाल सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती

यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीर राम, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खेरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
राम अभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
राम रती देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
राम लाल, श्री
राम वचन यादव, श्री
राम सनेही भारतीय, श्री
राम समझावन, श्री
राम सिंह चौहान, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सूरत प्रसाद, श्री
राम स्वरूप यादव, श्री
राम स्वरूप वर्मा, श्री
राम हेत सिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूर्मासिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
बजरंगबिहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशाल सिंह, श्री
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजगोपाल सक्सेना, श्री
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री

शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपाल सिंह, कुंवर
संग्राम सिंह, श्री
सईद महमद अंसारी, श्री
सजीवन लाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वती देवी, शुक्ल, श्रीमती
सिया दुलारी श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खन लाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्र सिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूरत चन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिदत्त कान्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरी सिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मोलाई), श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह बिसेन, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री
होरी लाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शनिवार, ५ अप्रैल, १९५८ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

आगरा में यमुना के पुल का निर्माण-कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समाप्त करने की प्रार्थना

**१—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि आगरा में यमुना के पुल का जो निर्माण होने वाला था, वह स्थगित किया जा रहा है ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—अभी कोई ऐसी सूचना केन्द्रीय सरकार से प्रदेशीय सरकार के पास नहीं आई है ।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस पुल से जो सड़क बनने वाली है वह प्रादेशिक सरकार बनायेगी ? यदि हां तो उसमें अभी तक क्या काम हुआ है ?

श्री गिरधारी लाल—यह सब नेशनल हाई वे है । प्रादेशिक सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है सिवाय बनाने के । जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है उसके विषय में माननीय सदस्य ने नहीं पूछा था, उसकी इत्तिला नहीं है । पुल के सम्बन्ध में पूछा था उसके विषय में ही जवाब दिया गया है ।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी इस पुल के महत्व को देखते हुये केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार करेंगे कि यह पुल इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना में समाप्त कर दिया जाय ?

श्री गिरधारी लाल—इसके सिलसिले में पत्र-व्यवहार किया जा रहा है और प्रदेशीय सरकार की यह मंशा है कि यह जल्द से जल्द पूरा हो जाय ।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि यह आगरा का पुल दूसरी पंचवर्षीय योजना से निकाल दिया गया है और अब उसका निर्माण नहीं किया जायगा ?

श्री गिरधारी लाल—इसकी मुझे कोई इत्तला नहीं है । जैसा कि बतलाया गया है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर यह पुल है ।

श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस पुल की जमीन के लिये प्रदेशीय सरकार का कुछ रुपया नाप-तोल में व्यय हो चुका है ?

श्री गिरधारी लाल—एस्टीमेट तैयार करने के लिये नापतोल तो पहले होती ही है ।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि इस पुल के सम्बन्ध में कोई विनिमय सम्बन्धी कठिनाई है ?

श्री गिरधारी लाल—अभी वह सवाल उठा नहीं है ।

श्री जगन्नाथ लहरी—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस पुल के निर्माण के सम्बन्ध में अभी तक सरकार ने क्या कदम उठाया है और वह इसका संक्षिप्त ब्योरा देंगे ?

श्री गिरधारी लाल—पिछले साल इस पुल के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को लिखा गया था । उसके बाद एस्टीमेट के सम्बन्ध में कुछ बातचीत हुई थी, उसके बाद इस वर्ष फरवरी, सन् १९५८ में दोबारा लिखा गया है और यहां से एक एस्टीमेट ३९ लाख कुछ हजार का उनके पास भेजा गया है ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार प्रदेशीय सरकार से इस सम्बन्ध में कोई आर्थिक सहयोग चाहती है ?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं, ऐसा नहीं है ।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि यदि यह पु नहीं बना तो इंडस्ट्रियल इस्टेट जो वहां पर बन रही है उसके विकास में कठिनाई पड़ेगी ?

श्री गिरधारी लाल—पुल बनने से हर जगह सहूलियत होती है और न बनने से हर जग कठिनाई है ही ।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—क्या यह सच है कि एक पुल आगरा में पहले से है इसलिये केन्द्रीय सरकार इसको बनाना नहीं चाहती है ?

श्री गिरधारी लाल—मैंने सुना नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—आपने नहीं सुना तो अच्छा ही है ।

श्री छत्रपति अम्बेश—क्या यह सच है कि इस पुल के निर्माण के लिये कुछ जमीन ऐक्वायर कर ली गई है और उसके लिये रुपया भी कुछ किसानों को दे दिया गया है और कुछ को नोटिस जा चुकी है ?

श्री गिरधारी लाल—मेरा खयाल है यह बात सच नहीं है ।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित कि इस मार्ग से सारे प्रान्त का ट्रान्सपोर्ट पास होता है और जो पुल इस समय मौजूद है उससे पास होने में बहुत कठिनाई हो रही है ?

श्री गिरधारी लाल—जी हां, कठिनाई हो रही है । इसी वजह से यह दूसरा पुल बनाने की योजना है ।

नियोजन उपमंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री मोहनलाल वर्मा और श्री शिव प्रसाद नागर जी ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न भेजा है और वह श्री नेगी के उत्तर के सम्बन्ध में है कि उन्होंने वह उत्तर ठीक नहीं दिया । इसके साथ कोई कार्यवाही जिसमें यह दिया हो कि क्या उत्तर दिया गया था उन्होंने नहीं भेजी है । विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने का जो तरीका है उसके अनुसार इसको मैं अनिश्चित सा पाता हूं । इसलिये इसके उठाने के लिये मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

हसनगंज थाना, जिला उन्नाव में श्री फरीद अहमद पर गुन्डों द्वारा हमले के बारे में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—यह एक कामरोको प्रस्ताव ३ तारीख को आया था । हसनगंज थाना जिला उन्नाव में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता श्री फरीद अहमद पर गुन्डों द्वारा लाठियों और कांतों से घातक हमला हुआ । यह कामरोको प्रस्ताव मैंने मुख्य मंत्री जी के पास भेज दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं इसकी जांच करा कर सूचना सदन को दूंगा और उसके बाद इसके बारे में निर्णय देने को मैंने कहा था । क्या माननीय मुख्य मंत्री जी या गृह मंत्री जी कोई सूचना देंगे ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, जो इस घटना के सम्बन्ध में सूचना आयी है उससे पता लगता है कि दो तारीख को श्री फरीद अहमद साहब के ऊपर सायंकाल एक हमला हुआ जब वह चंदौली गांव के पास टहल रहे थे और उन्हें चोटें आयीं । इस घटना की कोई रिपोर्ट थाने में नहीं लिखायी गयी । फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट कोई नहीं लिखायी

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

गयी, लेकिन जब चोट खाये हुये फरीद अहमद साहब हसनगंज डिस्पेन्सरी लाये गये तो वहां तहसीलदार ने उनका बयान लिखा। उस बयान में उन्होंने बताया कि उनकी (फरीद अहमद साहब की) स्टेशन अफसर से कुछ बुराई रही है जिसके खिलाफ उन्होंने कई बार दरख्वास्तें भी दी थीं और इसके साथ-साथ इनामअली और सईद खां, उनके कुछ पट्टीदार लोग हैं जिनसे जायदाद के मामले में उनका झगड़ा चल रहा था। अपने बयान में उन्होंने यह कहा कि जब मैं टहल रहा था तो चार, पांच आदमियों ने मेरे ऊपर धावा किया और मुझे भालों से और लाठियों से मारना शुरू किया और मैं अपनी जान बचाने के लिये भागा। करीब १०० गज गया होऊंगा कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया और बुरी तरह मारा। यह ५ और ६ बजे के बीच की घटना उन्होंने बतलायी और उनका यह कथन था अपने बयान में जो उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया कि मुझसे चूंकि स्टेशन अफसर से झगड़ा रहा है, मेरा यह खयाल है कि स्टेशन अफसर के उभारने से मेरे ऊपर यह धावा हुआ और मुझे यह चोट पहुंचायी गयी। उन्हें काफी चोट आयी। करीब २८ चोटें उन्हें आई हैं और कई जगह उनकी हड्डियां भी टूटी हैं। हसनगंज से वह अस्पताल लाये गये जहां उनकी दवा-दारू हो रही है और अब ऐसा समझा जाता है कि उनकी जान के लिये कोई खतरा नहीं है।

अब वह सैटिसफ़ैक्टरिली प्रोग्रेस कर रहे हैं और जो कुछ मुमकिन है, सदर अस्पताल में उनका इलाज हो रहा है। रिपोर्ट तो उन्होंने थाने में लिखाई नहीं, न किसी और ने लिखाई, लेकिन उनके बयान को रिपोर्ट मानकर उसकी तहक़ीकात शुरू की गई। तहक़ीक़ात के लिये सुपरिन्टेन्डेन्ट पलिस ने सर्किल इन्स्पेक्टर को डिप्यूट कर दिया, जो इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। जहां तक एस० ओ० के सम्बन्ध में उनका कहना है कि उनसे बुग्ज होने के कारण उनके साथ यह हुआ, उसका कोई सबूत नहीं है क्योंकि एस० ओ० स्वयं वहां मौजूद नहीं थे। वह उस दिन ५ बजे तक सेशन्स के मुकदमे में थे और जज की अदालत में थे। वहां से रवाना होकर वह साढ़े सात बजे हसनगंज पहुंचे। इसके बहुत पहले यह किस्सा हो गया था। यह जरूर है कि उन्होंने पत्र लिखा था और एक पत्र मुझे श्री महादेव प्रसाद जी ने भी लिखा था। जिसे मैंने आई० जी० के पास भेज दिया। उनसे श्री भीखालाल जी और पत्र के लिखने वाले मिले और उस पर इनक्वायरी की गई। डी० वाई० एस० पी० कम्पलेन्ट्स ने और एस० पी० ने भी इनक्वायरी की और ऐसी कोई बात नहीं मालूम हुई कि जो शिकायत एस० ओ० के खिलाफ़ की गई थी कि वह हमसे बुग्ज रखते हैं, उसका आधार कुछ होता। अब इन्वेस्टीगेशन का काम शुरू हो गया है और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने इनामअली साहब का और ४,५ आदमियों का नाम लिया है। उसमें कानूनी कार्यवाही होगी।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—मैं थोड़े से समय में यह बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से इसमें पुलिस की जिम्मेदारी है और पुलिस के जरिये से यह मामला कराया गया है।

श्री अध्यक्ष—यह मामला तो अदालत में होगा। यह यहां साबित नहीं किया जायगा।

श्री भीखालाल—इसकी बाबत मैंने पेश्तर भी एक पत्र लिखा था। उसमें साफ तौर से लिखा था कि इस तरह की साजिश हो रही है। श्री फ़रीद अहमद, जो वहां कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, उन्होंने वहां दरोगा के खिलाफ रिश्वत के मामले में जांच में सहायता दी है, जिसकी रिपोर्ट मंत्री जी को भी मिली थी कि एक आदमी से १ हजार रुपया रिश्वत दरोगा जी ने ली।

श्री अध्यक्ष—इस ब्यौरे के कहने का इस समय मौका नहीं है।

श्री भीखालाल—माननीय मंत्री जी कहते हैं कि एस० ओ० उस समय मौजूद नहीं थे। एस० ओ० ऐसा बेवकूफ़ नहीं है कि वहां उपस्थित रहता .....

श्री अध्यक्ष—मैं वैधानिकता के बारे में पूछना चाहता हूं। जो सूचना आपने और दूसरे माननीय सज्जन ने मंत्री जी को दी, उस पर जांच हुई और यह पता चला कि यह सिद्ध नहीं हुआ कि कोई झगड़ा दरोगा जी वहां कराना चाहते थे। यह अन्दाजा या जांच का तरीका गलत हो सकता है, मगर वह दूसरी बात है। इस घटना से और सरकार से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। सरकार ने अपना कर्तव्य किया और जांच कराई तब बात खत्म हो गई। बाद में मुकदमा चलने की बात है। सरकार का कहना है कि उसकी कार्यवाही हो रही है। स्थानीय व्यवस्था जो हो सकती है उससे सरकार से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। इसलिये मैं प्रस्ताव को अवैध करार देता हूं।

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—मैं आपके द्वारा गृह मंत्री जी तथा मुख्य मंत्री जी को इस बात की चेतावनी दे देना चाहता हूं कि पोलिटिकल वर्कर्स पर पुलिस और गुन्डों के द्वारा जो साजिश हो कर हमले हो रहे हैं, यह गम्भीर प्रश्न है। अलीगढ़ में एक के बाद दूसरे, दो कांग्रेस मैनों का कत्ल हुआ और बावजूद पुलिस को बार-बार सूचना देने के उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। अभी कल मुझे ज्ञात हुआ कि आजमगढ़ में सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ता श्री विशुनदेव के ऊपर मधुबन के थाने के थानेदार की साजिश से हमला किया गया, दिन दहाड़े किया गया, और वे घायल अस्पताल में पड़े हुये हैं। पता नहीं कि वह बचेंगे या नहीं। ऐसा ही केस यह भी है। इस तरह से पोलिटिकल वर्कर्स की जिन्दगी पुलिस की साजिश से खतरे में पड़ना गम्भीर बात है। इस पर माननीय गृह मंत्री जी तथा मुख्य मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसके लिये आप स्वत: माननीय गृह मंत्री जी से चर्चा कर लें। दोनों का उद्देश्य यही मालूम होता है कि इस चीज को रोका जाय। लेकिन काम रोको प्रस्ताव नहीं आ सकता है, जिसके लिये मैंने इजाजत नहीं दी है।

डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चुनाव टालने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—माननीय राजनारायण जी ने एक कामरोको प्रस्ताव दिया है कि "वर्तमान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सन् ४८ से चल रहा है, साधारणत: इस का चुनाव सन् ५१ में हो जाना चाहिये था, मगर लगातार यह चुनाव टलते-टलते आज दस वर्ष हो गया। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव नहीं हुआ। जनतंत्र में राज्यशक्ति का विकेन्द्रीकरण आवश्यक है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में यह और भी आवश्यक है, जिला स्तर पर जन प्रतिनिधियों के हाथ में शक्ति—यह हिस्सा मैं पढ़े तो देता हूं लेकिन यदि मैंने इसे वैध भी करार दिया तो मैं इसे देखूंगा कि इसमें आर्ग्यूमेन्ट्स हैं—"देना और उनके द्वारा शिक्षा, रोशनी, दवाई, सफाई, पानी बहुमुखी विकास योजनाएं तथा साधारण पुलिस की व्यवस्था करना अनिवार्य हो गया है।" यह प्रस्ताव का रूप नहीं मालूम होता है लेकिन मैं सबको पढ़े देता हूं—"गत नवम्बर में सरकार की ओर से कहा गया कि मार्च तक नया बोर्ड बन जायगा, फिर कहा गया कि अब मार्च में नहीं मई में अवश्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव होगा।

मई नजदीक आने पर तारीख ३ अप्रैल को मुख्य मंत्री के चुनाव टालने तथा जिलाधीश के सभापतित्व में अनिश्चित काल तक के लिये परामर्शदात्री परिषद् गठित करने से तमाम प्रदेश में चिन्ता छा गई है। मई में गर्मी का प्रश्न उठाकर अनिश्चित काल के लिये जिस ढंग पर सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव टाला है, उसने प्रदेश में अविश्वास पैदा कर जनतांत्रिक परम्परा की हत्या कर दी है।

[श्री अध्यक्ष]

अतः यह सदन उपर्युक्त विषय पर विचार करने के लिये आज अपना कार्य-स्थगित करता है ।"

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस प्रश्न को उठाने के विषय में उन्हें कोई आपत्ति है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मुझे जो कुछ निवेदन करना था मैं कर चुका हूं । इसकी मैरिट्स पर मैं कुछ नहीं कहता । लेकिन जैसा कि मैंने उस दिन कहा था, यह चीज अगर बदली गई है तो इस सदन के कई माननीय सदस्यों के जबानी कहने व लिखित कहने पर । इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों की बात को मानना यदि किसी चीज की हत्या करता है तो मैं मजबूर हूं । डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के टूटने के बाद क्या व्यवस्था हो, वह भी कई माननीय सदस्यों की और विरोधी दल के नेता माननीय त्रिलोकीसिंह जी की बात को मानकर कि .....

श्री अध्यक्ष—मैं एक सुझाव देने के लिये मौका चाहता हूं । मैं समझता हूं कि यह बात उस दिन कही गई थी जो माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं, कि कुछ लोगों ने इच्छा प्रकट की है कि चुनाव स्थगित किया जाय और मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को तोड़ दिया जाय । यह श्रीगालसिंह जी ने भी कबूल किया था । लेकिन राजनारायण जी उस दिन भी कहते थे कि उन्हें उस सुझाव पर आक्षेप है और यह सुझाव की बात अचानक ही उनके सामने आई । तो ऐसी अवस्था में क्या यह सम्भव हो सकता है कि आज का कार्यक्रम जो थोड़ा सा ही मालूम होता है, उसे निपटाकर इस विषय को कामरोको प्रस्ताव का विषय न बनाकर बाद में उस पर सदन में विवाद हो जाय ? नियम १७२ के अनुसार किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर थोड़ी सी बहस हो सकती है । तो आज जो समय बचे उसमें घंटे दो घंटे इस पर बहस हो जाय तो ठीक होगा । कामरोको प्रस्ताव की बहस के बाद वोटिंग हो और वह गवर्नमेंट के विरुद्ध हो जाय तो गवर्नमेंट में अविश्वास की बात पदा हो जाती है । परन्तु नियम १७२ के अनुसार बहस करने में अविश्वास का प्रश्न नहीं उठता । ऐसी परिस्थिति में उस बहस में गवर्नमेंट के नेता और विरोधी दल के सदस्य अपनी भावनाओं और विचारों की चर्चा कर सकेंगे । अगर माननीय मुख्य मंत्री जी ऐसी बहस करना उचित समझते हों तो राजीनामें से यह बात हो सकती है ।

डाक्टर सम्पूर्णानंद—अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुख है कि जो सुझाव आपने दिया है, उससे मैं अपने को सहमत नहीं पा रहा हूं । मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि इस पर ज्यादा बहस का मौका नहीं है । मैं तो चाहता था कि इस मामले को यहीं खत्म कर दिया जाय लेकिन अगर आप इसको वैध समझते हैं तो सदन की राय ले लें ।

श्री अध्यक्ष—मैं इसको वैध समझता हूं । मैं श्री राजनारायण जी को यह कहूंगा कि वह सदन से अनुमति के लिये प्रार्थना करें । सिर्फ प्रस्ताव का मुख्य भाग ही वे लें । उसका जो जनतंत्र के बारे में उपदेशात्मक भाग है, उसको वे छोड़ दें ।

*श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—अध्यक्ष महोदय, मेरा कामरोको प्रस्ताव इस प्रकार है :

" वर्तमान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सन् ४८ से चल रहा है, साधारणतः इसका चुनाव सन् ५१ में हो जाना चाहिये था, मगर लगातार यह चुनाव टलते-टलते आज दस वर्ष हो गया है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव नहीं हुआ । गत नवम्बर में सरकार की ओर से यह कहा गया कि मार्च तक नया बोर्ड बन जायगा, फिर कहा गया कि अब मार्च में नहीं मई में अवश्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

होगा। मई नजदीक आने पर तारीख ३ अप्रैल को मुख्य मंत्री के चुनाव टालने का तथा जिलाधीश के सभापतित्व में अनिश्चित काल तक के लिये परामर्शदात्री परिषद् गठित करने से तमाम प्रदेश में चिन्ता छा गई है। मई में गर्मी का प्रश्न उठाकर अनिश्चित काल के लिये जिस ढंग पर सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव टाला है उसने प्रदेश में अविश्वास पैदा कर जनतंत्र परम्परा की हत्या कर दी है। अतः यह सदन उपर्युक्त विषय पर विचार करने के लिये आज अपना कार्यस्थगित करता है।"

श्रीमन्, जो कामरोको प्रस्ताव आपकी आज्ञा से मैंने सदन की सेवा में प्रस्तुत किया है, उसमें मेरा उद्देश्य क्या है, मैं समझता हूं माननीय सदन के सम्मानित सदस्य उसको जानते होंगे। जहांतक मेरी जानकारी है मुख्यमंत्री जी ने कभी भी इस सदन को यह बात नहीं बताया, न किसी माननीय सदस्य को ही यह बात बतायी कि अनिश्चित काल के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनावों को टाल देने की बात है। यहां यह कहा गया कि माननीय श्रीपाल जी ने कुछ कहा। तो माननीय श्रीपालसिंह जी ने केवल इतना कहा था कि मई में गर्मी ज्यादा पड़ती है, और जहां तक मैं समझ पाया, उन्होंने कहीं भी यह बात नहीं कही कि यदि मई में चुनाव न हो तो अक्तूबर में भी न हो, अगर मई में नहीं होता है तो दिसम्बर में भी न हो। इसलिये यह कामरोको प्रस्ताव इस समय इतना अहम हो गया है। आपने सुना होगा कि जब माननीय उग्रसेन जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से यह सवाल किया कि अगर मई में चुनाव नहीं कराते तो कब करायेंगे, उसकी कोई तारीख दीजिये तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उसकी कोई तारीख नहीं दी जा सकती। उन्होंने प्रश्न किया कि कोई महीना दीजिये तो कहा गया कि महीना भी नहीं दिया जा सकता और जब कहा गया कि साल दीजिये तो उत्तर दिया गया कि साल भी नहीं दे सकते, हो सकता है कि ३०-५० वर्ष के बाद हो। जब उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री इस तरह की बात करे तो जरा इस आदरणीय सदन के सदस्यों को समझना चाहिये कि बात क्या है।

श्री अध्यक्ष—फैक्ट्स पर ही आइये।

श्री राज नारायण—श्रीमन्, इसमें थोड़ी सी नजाकत आ गयी है और वह नजाकत इस प्रकार से आ गयी है कि कुछ सदस्यों ने गर्मी को लेकर चुनाव टालने की बात कही। यद्यपि मेरा कहना है कि अगर यह सरकार समझती थी कि चुनाव गर्मी में नहीं हो सकता है तो इस बिल को क्यों लाया गया? इसकी तैयारी में इतना रुपया क्यों खर्च कराया गया? ४, ५ दिन तक इस सदन का समय क्यों नष्ट किया गया? ये सारी बातें सदन के सम्मानित सदस्यों के सामने हैं। तो मैं कहता हूं कि आज सरकार इस हैसियत में है कि वह घोषणा करे कि अगर गर्मी में चुनाव नहीं हो रहा है तो वह कब चुनाव करावेगी और ये परिषदें कितने कार्यकाल के लिये बैठेंगी। हमें ऐसा लगता है कि ये परिषदें जब बैठेंगी तो कई साल तक चुनाव नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के एलेक्शन का कोई अवसर ही नहीं आवेगा और १० वर्ष तक के लिये जो अस्थायी परिषद् का नाम दिया जा रहा है, वे स्वरूप में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में स्थायी परिषदें बन जायेंगी। लोगों के मत देने के अधिकार को, जनप्रतिनिधित्व को यहां काटा जा रहा है, इसलिये मैं आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे इस गम्भीरता को समझें। जब गर्मी के प्रश्न पर चुनाव टाला गया है तो उसके बाद के लिये सरकार ने कोई निश्चित तिथि नहीं रखी है कि कब चुनाव होगा। सदन के सम्मानित सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे मेरे इस कामरोको प्रस्ताव के पक्ष में अपनी सम्मति दें और सरकार को मजबूर करें कि वह बताये और घोषणा करे कि जाड़े में कब चुनाव वह करावेगी ताकि तमाम विरोधी पक्ष के लोग चुनाव की तैयारी अभी से करना शुरू कर दें।

***श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस काम रोको प्रस्ताव के संबंध में विचारणीय बात यह है कि महत्व का प्रश्न केवल यह नहीं है कि मई, जून में चुनाव क्यों नहीं कराया गया, क्यों टाला गया, बल्कि उससे अधिक महत्व

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

का प्रश्न यह बन गया है कि डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स की जो स्थापना की जायेगी, उनका चुनाव कब होगा। तो अगर माननीय मुख्य मंत्री महोदय, कृपा करके यह बता सकें कि वह चुनाव यथा सम्भव वे सन् १९५९ तक करा देने की कृपा करेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत सी बातें विचारणीय नहीं होंगी और नहीं तो यह प्रश्न महत्व का हो जायगा, बहुत महत्व का हो जायगा कि चुनाव की कोई निश्चित तिथि न होकर उसे अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया जाय। मैं समझता हूं, कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय खुद भी इसको मुनासिब नहीं समझते, इसलिये इस संबंध में स्पष्टीकरण कर दें तो बड़ी कृपा हो।

श्री अध्यक्ष—(श्री गेंदा सिंह के खड़े होने पर) इस पर भाषण देने का मौका तो नहीं है, क्या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं ?

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—जी हां। श्रीमन्, माननीय राजनारायण जी ने जो कुछ कहा, उससे बात बहुत स्पष्ट हो गयी है। माननीय राजनारायण जी का जो इस वक्त कहना है, जो मैं समझ पाया हूं, वह यह है कि चुनाव मई, जून को टल गया है, लेकिन अगले तीन महीने में ये चुनाव हो जायेंगे, इसको माननीय मंत्री जी घोषित कर दिये होते तो अच्छा होता। क्योंकि मौजूदा बोर्ड्स से सचमुच लोग ऊब गये हैं और जिस वक्त उन्होंने ३० जून से इसके डिजाल्व होने की घोषणा की उसी वक्त से इसका एफेक्ट हो जाता तो बेहतर होता। फिर ३० जून तक के लिये इसको जीवित रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बहुत आवश्यक है कि अगले तीन महीने में किस महीने तक चुनाव हो जायगा इसकी घोषणा माननीय मंत्री जी कर दें तो मैं समझता हूं कि श्री राजनरायण जी की शिकायत भी रफा हो जायगी।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मुझे कुछ थोड़ा सा यह निवेदन करना है कि यह जो अभी-अभी राज नारायण जी ने बतलाया है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कोई निश्चित तिथि नहीं बतलायी, इस बारे में उस दिन माननीय मुख्य मंत्री ने यह कह दिया था कि कारपोरेशन बिल लाने के बाद डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स बिल लायेंगे उसे आदरणीय सदन तीन घंटे में पास कर दे, तीन दिन में पास कर दें, या तीन साल में पास करें, बिना उसके पास किये हुए चुनाव कैसे हो सकता है ? इसलिये कोई निश्चित तिथि नहीं बतलायी जा सकती। मेरा निवेदन यह है कि उसी दिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने उपयुक्त जवाब दे दिया था। अब अगर यह पूछा जाय कि माननीय मंत्री जी कब वह बिल लायेंगे तो भले ही यह बात पूछी जाय, वरना चुनाव के लिये तो उसी दिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने कह दिया था।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—माननीय सभापति जी, जो कामरोको प्रस्ताव माननीय राजनारायण जी की ओर से रखा गया है मैं उसका कामरोको प्रस्ताव के रूप में समर्थन नहीं करना चाहता और केवल एक बात ही जानना चाहता हूं उनके स्पष्टीकरण को शत-प्रतिशत मानते हुये, कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के स्थान पर जो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स चुनी जायंगी, उसके बारे में मुझे जरा इतनी सी शंका है....

श्री अध्यक्ष—यह तो आप दूसरा नया प्रश्न उठा रहे हैं....

आचार्य दीपंकर—दूसरा प्रश्न नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का स्थानान्तरण इन कौंसिल्स द्वारा होगा उसके बाद अब भी यह स्पष्ट नहीं हुआ कि उनका चुनाव कब होगा।

श्री अध्यक्ष—यह तो स्पष्टतः बताया जा चुका, कोई नई बात आप नहीं कह रहे हैं।

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी माननीय श्रीपाल सिंह जी ने कहा, अपनी समझ से तो मैंने परसों ही इस संबंध में स्थिति को स्पष्ट कर दिया था और अब फिर उसी को दोहराये देता हूं कि हमारा निश्चित रूप से ऐसा विचार है कि जुलाई में जब सदन बैठेगा उस वक्त हम पहले तो कारपोरेशन बिल लायेंगे और उसके पारित होने के बाद फौरन ही डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स के संबंध में बिल लायेंगे और जैसा मैंने उस दिन भी कहा था आज भी कहता हूं कि यह तो सदन की मर्जी पर है, वह जितनी जल्दी पास कर दे और उसके बाद हमारा दूसरा सदन भी उसे मंजूर कर दे और जैसे ही सदन की स्पष्ट रूप से हम आज्ञा मिल जायगी हम नई व्यवस्था के अनुसार चुनाव कराने में कोई देरी नहीं करेंगे, चाहे वह १९५८ के अन्त में हो जाय या १९५९ के आरम्भ में हो जाय, यह तो सदन की मर्जी पर ही निर्भर है। एक बात जरूर साफ है कि जब डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स ऐक्ट बनने जा रहा है तो दो-तीन मास के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव कराना बिलकुल गलत होगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा खर्च भी हो जायगा और चार, पांच महीने बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स का चुनाव होगा। इसलिये जैसा कि मैंने कहा हम कारपोरेशन बिल पास होने के फौरन बाद ही डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स बिल लायेंगे और जैसे ही दोनों सदन उस को स्वीकृत देंगे हम चुनाव करा देंगे।

श्री राजनारायण—इससे तो प्रश्न और भी पेचीदा हो गया।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जांय, अब आप.....

श्री राजनारायण—मैं तो इस मत का हूं कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिये, क्योंकि सरकार जो भी बिल पास कराना चाहती है उसको इस सदन में कोई रोक नहीं सकता, अगर सरकार चाहेगी तो यह कहना कि तीन, चार बरस लग जांयगे, बिलकुल अनर्गल है।

श्री अध्यक्ष—आप ज्यादती कर रहे हैं, मैं किसी भी हालत में अब आपको अधिक कहने की इजाजत नहीं दे सकता क्योंकि कोई भी व्यक्ति या मुख्य मंत्री जी ही निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि फलां बिल इतने समय में सदन से पास हो जायगा। सदन में कोई बात सदन द्वारा ही निश्चित हो जाय वह बात दूसरी है वर्ना सरकार या कोई व्यक्ति ऐसी बात नहीं कह सकता।

श्री राजनारायण—मैं आपकी बात से बिलकुल सहमत हूं और जिस टेक्निकल तरीके से माननीय मुख्य मंत्री जी को कहना चाहिये उसी तरह से उन्होंने कहा, लेकिन इंटरमीडियेट बोर्ड....

श्री अध्यक्ष—यह तो आपने बहस शुरू कर दी। आप बैठ जांय, मैं राय लिये लेता हूं।

जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हों कि अनुमति दी जाय वह कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जायं।

(केवल १७ सदस्य खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष—अनुमति के लिये सदस्यों की संख्या ३६ होनी चाहिये इसलिये इसके लिये सदन की अनुमति नहीं है।

विधान सभा सदस्य, श्री प्रताप सिंह को जेल में सुपीरियर क्लास न दिये जाने के विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव श्री नारायणदत्त तिवारी का है कि :—

"नैनीताल जिले के जगबूड़ा पुल पर साइकिल तथा गाड़ियों पर लगाये गये टैक्स के विरोध स्वरूप हुए सत्याग्रह में गिरफ्तार उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

श्री प्रताप सिंह को सरकारी अधिकारियों द्वारा 'सुपीरियर क्लास ट्रीटमेंट न दिया जाना'---यहां कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है---'तथा उनके पेट के रोग से पीड़ित होने पर भी रामजे अस्पताल, नैनीताल में भर्ती करने हेतु वादा दिये जाने पर भी भर्ती करके इलाज करने का प्रबन्ध न किया जाना।'

इसमें सरकार से कोई संबंध बिलकुल आता नहीं है और प्रश्न स्थानीय है और वैयक्तिक है। यह सार्वजनिक महत्व का इस वजह से नहीं हो सकता है। इसलिये मैं कामरोको प्रस्ताव के रूप में इस विषय को उठाने की इजाजत नहीं दे रहा हूं। लेकिन माननीय समाज सुरक्षा मंत्री अगर इस बारे में कुछ जानकारी सदन को देना चाहें तो कृपा करके दें।

समाज सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फरहसन)---अध्यक्ष महोदय, यह मुझे १० बज कर ४० मिनट पर मिला है और कोई सूचना इस बारे में मुझे मिल नहीं सकी है इस वक्त।

श्री अध्यक्ष---तो फिर ठीक है। माननीय नारायणदत्त जी उनसे इसके बारे में बातचीत कर लें। मैं प्रश्न को उठाने की इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, अगर ४, ५ बजे तक भी कोई सूचना माननीय मंत्री जी दे दें तो बड़ा अच्छा होगा.....

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, मैंने उसके लिये इजाजत नहीं दी है।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मैं इतना बतला देना चाहता हूं कि श्री प्रतापसिंह जी सुपीरियर क्लास में हैं इस वक्त।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, जरा एक जानकारी मैं चाहता हूं। सुपीरियर क्लास सरकार की ओर से दे दिया गया है, माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात से मैं इतना तो जरूर समझता हूं। मगर उन्होंने उस सुपीरियर क्लास को अवेल किया है या नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों को सुपीरियर क्लास दे दिया जाता है तिस पर भी.....

श्री अध्यक्ष---तो यह आप उनके दफ्तर में बात करिए।

श्री देवनारायण भारतीय द्वारा चुनाव के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव श्री देवनारायण जी भारतीय का है जो कि चालू असेम्बली के एक एलेक्शन के संबंध में है। मैं इसको उचित नहीं समझता हूं कि वह पढ़ा भी जाय। मैं इस प्रश्न को उठाने की इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---कुछ स्पष्टीकरण अगर मैं कर दूं.....

श्री अध्यक्ष---मैं आपको स्पष्टीकरण देने की भी इजाजत नहीं देता हूं। वह एक ही बात हुई। मैं आदरणीय सदन को चुनाव प्रचार का स्थान नहीं बनाना चाहता।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन

परिवहन राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)---अध्यक्ष महोदय, मैं यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम० बी० आर०/ए-एम-९-१४ जी० टी० ४८५८-टी-५६, दिनांक १८ जनवरी, १९५८ के अधीन प्रख्यापित संशोधन को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा नियम, १९५७ में प्रख्यापित संशोधन

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा नियम, १९५७ में श्रम (क) विभाग की विज्ञप्ति संख्या १२६५-एस०-टी०/३६-ए—१०२-एस० टी०-५७, दिनांक २७ मार्च, १९५८ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, १९४७ की धारा २३ की उपधारा (३) के अनुसा सदन की मेज पर रखता हूं।

*उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५८ (क्रमागत)†

‡माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्ताव किया था कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाय। उसके सिलसिले में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जमींदारी अबालीशन ऐंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट, १९५० की धारा ३ में परिभाषाएं दी गई हैं। उसमें 'इस्टेट' की जो परिभाषा दी गई है वह आपकी इजाजत से मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। मेरे पास इस समय अंग्रेजी का ऐक्ट है :—

"'Estate' means the area included under one entry in any of the registers prepared and maintained under clauses (*a*), (*b*), (*c*) or (*d*) of section 32 of the United Provinces Land Revenue Act, 1901, or in the registers maintained under clause (*e*) of the said section in so far as it relates to a permanent tenure-holder and includes share in or of an estate;"

इसका मोटा-सा अर्थ हिन्दी में यह है कि "आस्थान" के माने उस क्षेत्रफल से होंगे जो कि संयुक्त प्रान्तीय लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ३२ के मातहत तैयार किये हुए और मेन्टेन किये हुये यानी कायम रखे हुए रजिस्टरों में जो इंदराज होते हैं, वह उसके अन्दर शामिल हों।

अब एक मुकदमा मिर्जापुर के मुताल्लिक हाईकोर्ट में इस ऐक्ट के सिलसिले में जेरे तजवीज था। तो हाईकोर्ट के एक जज ने आब्जरवेशन्स किये, मुकदमा तो गवर्नमेंट के हक में तय किया, लेकिन उन्होंने अपना यह ख्याल जाहिर किया कि यह परिभाषा कुछ बहुत ठीक नहीं है। अगर यह ठीक कर दी जाय तो अच्छा हो। इस तरह की कुछ बातें उन्होंने कहीं। उनका कहना यह था कि जो रजिस्टर तैयार होते हैं वह तो धारा ३२ में होते हैं और मेन्टेन किये जाते हैं धारा ३३ में। तो कानूनी मश्विरा यह हुआ, लीगल रिमेंम्बरेंसर का भी और एडवोकेट जनरल का भी कि मुनासिब यह हो कि इस परिभाषा का संशोधन कर दिया जाय। तो अब अगर कोई शकूक इस सिलसिले में हों तो उनको रफा करने के लिये यह एक छोटा-सा बिल "आस्थान" की परिभाषा बदलने के लिये मैंने सदन में पेश किया है और दरख्वास्त करता हूं कि सदन इस पर आज ही विचार कर ले।

अब जिस तरह का संशोधन यह है कि वह एक ही धारा है केवल, उसका मतलब यह है कि यह साफ कर दिया गया कि रजिस्टर्स तैयार किये जाते हैं धारा ३२ में, मेंटेन किये जाते हैं धारा ३३ में।

दूसरी बात यह साफ कर दी गई कि लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में जो पास किया गया था, उससे पहिले भूमि अभिलेखों के रखने के सिलसिले में जो कानून, ऐक्ट, ला, आर्डर जो कुछ

---

*३ अप्रैल, १९५८ की कार्यवाही में छपा।
†३ अप्रैल, १९५८ की कार्यवाही से।
‡वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

भी रहा होगा, उसके मातहत जो भूमि अभिलेख तैयार किये जाते थे, मेंटेन किये जाते थे तो वह भी इसके अन्दर शामिल माने जायंगे ।

तीसरी बात यह है कि १९४९ के बाद या १९४९ में ही तीन बड़ी बड़ी रियासतें रामपुर, टेहरी-गढ़वाल और बनारस, और इसके अलावा बुन्देलखंड में छोटी-छोटी रियासतें जिनका विलीनीकरण उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो इन रियासतों में जो भी कानून रहा हो भूमि अभिलेखों के सिलसिले में, उसमें जो इन्दराज रहे और उन इंदराज में जिन क्षेत्रफल का जिक्र रहा हो तो वह भी 'इस्टेट' की परिभाषा के अन्दर माने जायं । तो यह तीन जो उद्देश्य थे हमारे मूल जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (८) में "आस्थान" की परिभाषा के, उनको स्पष्ट करने के ख्याल से यह संशोधन विधेयक में पेश कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय बलवान सिंह जी का एक इसमें संशोधन है कि यह प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय । इसके मुताल्लिक मैं आपकी इजाजत से अर्ज करूंगा कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें विवाद हो, कोई बहसतलब चीज हो, किसी उसूल की बात हो, किसी नीति का निर्धारण किया जा रहा हो, ऐसी कोई बात इसमें नहीं है । केवल शकूक को रफा करने के लिये परिभाषा में संशोधन किया जा रहा है । इसको प्रवर समिति में भेजना बिल्कुल ही गैर जरूरी है । कम से कम १००-५० खंडों का विधेयक भेजा जाय तो बात मुनासिब है लेकिन यह कोई नयी बात तो इसमें की नहीं जा रही है । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर विचार किया जाय और बलवान सिंह जी का जो संशोधन है उसका मैं विरोध करता हूं ।

*श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५८ दोनों सदनों की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जिसे यह भी अधिकार हो कि वह इस विधेयक की सीमा को भी बढ़ा सके और प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन ३० दिन के भीतर सदन को दे दे ।

माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था का जो बिल १९५० में पास हुआ उसमें केवल इसी बात की कमी रह गयी थी । अगर वे गौर से देखेंगे तो उनको मालूम होगा कि अबालीशन आफ जमींदारी के बाद न जाने कितनी कमियां रह गयी थीं । मैं मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि अभी तक कागजात की दुरुस्ती भी नहीं हो पायी । अब भी चार, चार किस्म के किसान हैं । भूमिधर, सीरदार असामी और अधिवासी । अगर आप चाहें तो एक ही रख सकते हैं । मेरा तो केवल इसी पर मतभेद नहीं है, अगर आप इस देश को उठाने की समस्या को हल करना चाहते हैं, सबको अनाज मिले, ऐसा चाहते हैं तो आपको जमीन के सुधार के लिये बहुत कुछ करना होगा । अकेले जो आपने यह छोटा सा परिवर्तन रखा है इससे काम नहीं चलेगा । मेरा तो यहां तक कहना है कि आपको इस चीज में आमूल परिवर्तन करना होगा ।

श्री अध्यक्ष—आप ब्योरे में नहीं जा सकते । आप सब चीजों को इसमें उठा कर जोड़ दें ऐसा नहीं हो सकता । यह कह सकते हैं कि इतना परिवर्तन कदाचित् कम है और बातें भी परिवर्तित की जा सकती हैं इत्यादि । लेकिन हर एक सेक्शन को लेकर आप पूरे अधिनियम पर विस्तार से विवाद करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं किया जा सकता ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बलवान सिंह—और चीजें भी इसके साथ नत्थी हैं, और इस वक्त जब इसका अमेंडमेंट माननीय मंत्री जी ले आये हैं तो क्यों न हर चीज पर विचार कर लिया जाय । इसलिये मेरा यह प्रस्ताव है कि इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाय जहां और चीजों पर भी विचार कर लिया जाय । १९५० से लेकर आज तक सरकार ने कभी भूमि सुधार के सम्बन्ध में एग्जिस्टिंग बिल पर कोई कमेटी नहीं बनायी जिससे इन परिवर्त्तनों की हमें जरूरत न पड़ती । इसलिये मेरा यह कहना है, श्रीमन् आपके द्वारा, माननीय मंत्री जी से कि इसमें बहुत सी चीजें सम्मिलित हैं । अभी जो चकबन्दी पर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है उसके लिये मेरा भी यह दावा है कि २ साल या ५ साल में मजबूर होकर फिर जमींदारी की व्यवस्था के लिये दोबारा कोई चीज सोचनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल जितने कानून हैं उनसे जमींदारी व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती । इसलिये सदन के सामने एक बिल पूरे तरीके से लायें । क्योंकि सरकार अभी तक यह निश्चय नहीं कर पायी है कि कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्ज के बाद कोआपरेटिव फार्मिंग होगा या नहीं, जमीन की कोई सीलिंग होगी या नहीं. . . .

श्री अध्यक्ष—यह भाषण असंगत हो रहा है । आप विधेयक पर ही सीमित रहिये ।

श्री बलवान सिंह—तो मेरा सुझाव यह है कि आप इस चीज को देखते हुये इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजिये । इस पर करोड़ों किसानों का भाग्य जुड़ा हुआ है । इस सरकार का सबसे बड़ा दावा यह है कि हमने जमींदारी अबालिश की । मैं तो उसी के ऊपर कहना चाहता हूं कि जो १९५२ और १९५७ में जीतने का यश इसी के बल पर कहा जाता है तो इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय । यह जमींदारी अबालीशन का कानून बिलकुल ही निकम्मा है, इसलिये इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय ।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय बलवान सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं । आप मेरी और विरोधी दल की इस बेबसी की तरफ भी ध्यान देंगे । यह जो अमेंडमेंट आया है उसमें यह लिखा हुआ है कि कुछ अदालतों के फैसले हुये और उनमें, जो कानून इस माननीय विधान सभा ने बना रखे हैं वह उनकी निगाह में उचित नहीं जंचे और उन्होंने उसके विरुद्ध फैसले दिये ।

श्री अध्यक्ष—फैसले विरुद्ध हुये, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि फैसले में आब्जरवेशन्स किये गये हैं ।

श्री गेंदासिंह—विधेयक में लिखा है, "शब्द 'आस्थान' का, जैसा कि वह जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३ के वर्त्तमान खंड (८) में पारिभाषित है, तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो लैंड रेवन्यू एक्ट की धारा ३२ के अधीन तैयार किये गये और रक्खे गये किसी रजिस्टर के एक ही इन्दराज के अन्तर्गत हो" । जिला मिर्जापुर के विजयगढ़ व अगोरी-बड़हर के राजाओं द्वारा दायर की गयी याचिका में विचार व्यक्त करते समय उच्च न्यायालय ने इस परिभाषा की कुछ अशुद्धि की ओर इशारा किया है ।

श्री अध्यक्ष—ये आब्जर्वेशंस हैं। फैसला तो उन्होंने सरकार के पक्ष में दिया है।

श्री गेंदासिंह—अब, अध्यक्ष महोदय, आप विचार करें कि अगर जजमेंट हमारे सामने होता तो हमको भी जजमेंट देने में कुछ आसानी होती ।

श्री अध्यक्ष—बलवान सिंह जी के पास मौजूद है ।

श्री गेंदासिंह—मैं आपकी जानकारी में यह भी ला दूं कि हम लोगों को वाकई में यह जानने में बड़ी परेशानी हुई कि आखिर किस आधार पर यह विधेयक लाया गया है ताकि मैं इस सम्बन्ध में अपनी कोई राय व्यक्त कर सकूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[श्री गेंदासिंह]

मैं पहली बात तो यह कहना चाहता था कि इसमें किसी मिनिस्टर को हमें सिखाने की जरूरत नहीं है और मैं समझता हूं कि जिस मिनिस्टर के बारे में यह मशहूर हो कि वह अपने विभाग की जानकारी में माहिर है उसको कम से कम इस प्रकार के भ्रम में लोगों को नहीं डालना चाहिये बल्कि उसे चाहिये कि हमें इतनी रोशनी में रखें कि हम उसके साथ इन्साफ कर सकें। सम्भव है कि इस वक्त बहुत अवकाश न मिला हो क्योंकि बहुत से काम ऐसे हैं जिनमें वे बहुत लगे हुये हैं, लेकिन आयन्दा से अगर इन बातों को वे ध्यान में रखेंगे तो हम लोगों के साथ न्याय हो सकेगा। अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा विभाग जिसका आज इस देश में इतना रोब जितना किसी दूसरे विभाग का नहीं है। लेखपाल और वसूल कुनिन्दा से लेकर के रेवेन्यू मिनिस्टर तक, और बीच में जितने देवता आते हैं उनकी तो चर्चा ही आप न करें, उनका वह रोब इस देश पर है कि हर काश्तकार यह समझता है कि उसकी आबरू इन्हीं के हाथ में है और न जाने किस वक्त वह आबरू बिगड़ जाय इसका खतरा उसको हमेशा बना रहता है। तो ऐसे विभाग को कम से कम अपने मामले में जरा सतर्क रहना चाहिये और क्या यह सतर्कता का नमूना है कि हम परिभाषा में गलती करते हैं? यह सही है कि गलती मनुष्य करता है लेकिन जिस आदमी का यह दावा हो कि वह गलती कभी करता ही नहीं है, वह आदमी इस तरह की गलती में पकड़ा जाय तो जरा उसे सोचना चाहिये कि उससे भी गलती हो सकती है। आज यह मौका मिला है कि हम उस आदमी को यह समझा सकें कि हुजूरवाला, आपसे भी गलती हो सकती है और जब आपसे भी गलती हो सकती है तो फिर आप के लेखपाल, कुर्क अमीन, तहसीलदार और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी गलती हो सकती है। मुझे थोड़ी सी आशा है कि इसके बाद भी अपनी गलती करने की बात मानी जा सकती है लेकिन फिर भी मैं आप के जरिये यह बात उन तक पहुंचाना चाहता हूं, पहुंच जाय तो अच्छी बात है।

माननीय बलवान सिंह जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि जमींदारी अबालीशन ऐंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट का सम्बन्ध ५ करोड़ से अधिक जनता से है। अप्रत्यक्ष रूप से खेत में मजदूरी करने वालों का भी सम्बन्ध उससे है। हम भी यह सोचते हैं और बहुत गहराई के साथ सोचते हैं कि इस कानून में कुछ ऐसे परिवर्तनों की आवश्यकता है कि जिनके बिना आज हजारों, लाखों आदमियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैं यह सुना करता था कि जमींदारी अबालीशन ऐक्ट में कोई अमेंडमेंट बिल आने वाला है। तब मैं यह जरूर समझता था कि उन बातों की तरफ इस विभाग की जरूर दृष्टि होगी क्योंकि इस विभाग का सम्बन्ध जमीन जोतनेवालों से है। लेकिन उस तरफ दृष्टि नहीं गई। अब हमारा फर्ज यह जरूर है कि हम श्रीमन्, आपका और उस तरफ का भी और माननीय सदन का ध्यान दिलाने की चेष्टा करें। वैसे तो बहुत से उदाहरण हैं लेकिन मैं दो, तीन ही देना चाहता हूं कि इसके बिना लाखों आदमियों की जिन्दगी का सवाल खड़ा हो गया है और उसके ऊपर जरूर विचार किया जाना चाहिये और कोई अर्थ इस कानून में उसका रखने का नहीं है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान दिलाऊंगा जमींदारी अबालीशन ऐंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट की दफा १५४ की तरफ.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि असंगत हो जायगा, क्योंकि इस अधिनियम में बहुत से सेक्शन्स हैं और इस तरह से तो सबके लिये आप जिक्र कर सकते हैं जो कि उचित न होगा।

श्री गेंदासिंह—जी नहीं, मैं सबका जिक्र नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष—आप एक दो, उदाहरण दे दीजिये।

श्री गेंदासिंह—जी हां, एक आध उदाहरण ही दूंगा और ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। एक कानून बना जिसमें सरकार ने और हमारी विधान सभा ने इस बात की इजाजत नहीं दी कि कोई आदमी अपनी जमीन को गिरवी रखकर पैसा ले सकता है। श्रीमन्, मैं एक बड़ी भारी चीज आपके सामने रख रहा हूं जो बड़ी व्यावहारिक है और आप भी इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि यह बड़ी भारी भूल हो गई है और बलवान सिंह जी ने जो ध्यान दिलाया उस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये। कोई अपनी जमीन गिरवी नहीं रख सकता है और देखिये सेक्शन १५४, इसमें मनाही

है, "Restrictions on the transfers by a Bhumidhar" वह अपनी जमीन ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, वह बयनामा कर सकते हैं, बेच सकते हैं, इस्तीफा भी दे सकते हैं लेकिन रेहन नहीं रख सकते हैं। हमेशा के लिये बिक्री कर सकते हैं लेकिन किसी भी हालत में गिरवी नहीं रख सकते हैं। अगर वह मुसीबत में पड़ गये हैं तो यह नहीं हो सकता है कि अपनी जमीन को गिरवी रख दें और उस समय अपना काम चला लें और बाद को जब वह इस लायक हो जायं या उनके बच्चे इस लायक हो जायं तो अपनी जमीन को वापस ले सकें। यह इजाजत न तो सीरदार को है और न भूमिधर को ही है। भूमिधर को हमने उससे दस गुना लगान लेकर यह अधिकार दे रखा है कि वह अपनी जमीन बेच सकता है, इस्तीफा दे सकता है और हमेशा के लिये अलग कर सकता है और अगर वह गिरवी कर दे तो एक मजेदार बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, शायद दया के मारे ऐसा किया है कि भूमिधर अपनी जमीन बेच न पाये इसलिये रेवेन्यू डिपार्टमेंट चाहता है कि कोई सीरदार या भूमिधर किसी भी हालत में अपनी जमीन को रेहन या गिरवी न कर सके। इस पर जितनी मुबारकबादी या बधाई दी जाय उतना ही अच्छा है। लेकिन इसका नतीजा क्या है? वह यह है कि इसी कानून में एक सेक्शन १६४ है। उसमें बंदोबस्त किया गया है कि "Transfer with possession by a Bhumidhar to be deemed a sale." अगर कोई भूमिधर किसी संकट के समय अपनी जमीन गिरवी कर देगा, यह सोचकर कि आगे वह उसे निकाल लेगा, तो वह जमीन उसकी बिकी हुई समझ ली जायगी और उसको उस जमीन से हाथ धो लेने पड़ेंगे। जो मालगुजारी में जूते खा रहा था, जो मालगुजारी में मुर्गा बन रहा था उसने कहा कि हम अपनी जमीन को महाजन के पास रखकर १० रुपया लेकर अपनी कमर की रस्सी छुड़ाना चाहते हैं तो उसके लिये इन्तजाम यह है कि जब वह अपनी कमर की रस्सी छुड़ाने लगे तो उससे कहा जाय कि तुम हमेशा के लिये इसको बेचो और बयनामा करो। यह उसके लिये इन्तजाम है और दूसरा कोई इन्तजाम नहीं है। वह रेहन नहीं कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इसको ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन यह लैंड रिफार्म्स बिल ऐसा है कि जिसमें ऐसी दर्जनों चीजें आपके सामने रख सकता हूं। मैं चाहता हूं माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब इसमें अमेंडमेंट कर लें। इस कानून के रखने की क्या जरूरत है। मैं उनके नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि इससे एक बड़ा भारी बवन्डर खड़ा हो रहा है। जिन सीरदारों ने अपनी जमीन को १० वर्ष पहले रेहन लिख दिया था उनका हक उस पर से खत्म हो रहा है। जिनके नाम रेहन लिखी हुई हैं या जिनका शिकमी नाम लिखा गया है उनको हक दिया जा रहा है। वह अब हकदार हो जायेंगे। ऐसे किसानों के ऊपर यह जुल्म होने जा रहा है जिन किसानों के पास १० गट्ठा या ५ गट्ठा जमीन है वह इतनी जमीन को रखकर अपना गुजारा किया करते थे। इसी जमीन के भरोसे पर वह पड़े हुये थे। उनके पास जीविका का दूसरा सहारा नहीं था। मुसीबत पड़ने पर जिनके पास रेहन या गिरवी किया गया और जिनसे रुपया लेकर उन्होंने मुसीबत में काम चलाया वे अब उस जमीन के मालिक होने जा रहे हैं। मैं समझता हूं बलवानसिंह जी का मतलब यही है जिससे वह चाहते हैं कि इसके स्कोप को बढ़ाया जाय। मैं भी यह समझता हूं कि अगर यह सेलेक्ट कमेटी में चला जायगा तो बहुत सी और बातें भी माननीय मन्त्री जी की निगाह में आ सकती हैं। २६८, २६९ और २७० के विषय में वहां पर बात हो सकती है। अगर इन सब बातों की चर्चा वहां पर हो जाय तो मुमकिन है कोई रास्ता निकल आये जिससे करोड़ों किसानों पर जो जुल्म हो रहा है उससे बचने का कोई रास्ता निकल आये। मैं समझता हूं श्री बलवानसिंह जी का यही मन्शा है कि जो बातें मिनिस्टर साहब के ध्यान में न आई हों वह सब बातें वहां पर उनके सामने आ जायं।

*श्री [illegible] (जिला मुरादाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माल मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, बलवानसिंह जी के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री महीलाल]

संशोधन के पक्ष में जो बातें यहां पर कही गई है उनको सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यह छोटा सा विधेयक है और एक वैधानिक कमी को पूरा करने के लिये यह लाया गया है। इतने छोटे से विधेयक के सिलसिले में हमारे बुजुर्ग और आदरणीय गेंदासिंह जी ने इतने मौलिक और व्यापक प्रश्न उठा दिये कि जो भूमि व्यवस्था के सम्बन्ध में अधिक से अधिक हो सकते हैं। भूमि के बटवारे को लेकर भूमि के मालिक बनाने और भूमि को गिरवी रखने और कितनी ही बातें जिनका कोई सम्बन्ध इस विधेयक से नहीं जुड़ता उन सब को यहां पर उठा दिया। जहां तक भूमि के बटवारे का प्रश्न है मैं भी उनसे सहमत हूं कि भूमि का बटवारा होना चाहिये लेकिन यह कोई बात समझ में नहीं आती कि कोई तुक लगे या न लगे लेकिन हर जगह हम भूमि के बटवारे की बात कहें।

अध्यक्ष महोदय, माननीय बलवान सिंह जी ने यह कहा कि मेरा मतभेद है। मतभेद प्रत्यक्ष है। यदि आपका मतभेद न होता तो आप उधर बैठे ही क्यों होते? आप इधर होते। और इसलिये यह कहना बिलकुल सारहीन है कि हमारा मतभेद है और इसमें बहुत सी कमियां हैं। उन्हें कमियां दिखाई देती हैं और स्पष्ट बात है कि जब तक आप उधर रहेंगे आपको कमियां दिखाई देंगी। आपको तो अच्छी से अच्छी बात खराब लगेगी।

(व्यवधान)

मैं कोई कड़वी बात नहीं कह रहा हूं जिससे आपको परेशानी हो। एक स्पष्ट बात है जिसको आप भी मानते हैं और मैं वही कह रहा हूं।

मान्यवर, मैं लम्बी बात में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो बातें इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति में भेजने के संबंध में कही गयी हैं उनके जवाब में कुछ कहना आवश्यक है। हमारे प्रदेश में जो भूमि संबंधी नयी व्यवस्था इस सरकार के द्वारा या माननीय माल मंत्री जी के परिश्रम के द्वारा कायम हुई है, इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि उसके द्वारा एक क्रान्ति आई है और यह बात स्पष्ट है कि जो भूमि को जोतता है उसको भूमि का मालिक बनाया गया है। अब इसके आगे और भी बहुत से मौलिक प्रश्न हो सकते हैं और यह भी नहीं कहा जा सकता कि अब इसके आगे किसी क्रान्ति के लिये स्थान बाकी नहीं रह गया है। लेकिन इन सब बातों को कहते हुए हमको यह विचारना है कि हम किसी चीज का निर्णय करने जा रहे हैं और किस पर विचार करने जा रहे हैं। इस समय जो संशोधन विधेयक हमारे सामने है उसमें कोई नीति या सिद्धांत का प्रश्न नहीं है। एक माननीय न्यायाधीश ने जिस ओर ध्यान दिलाया है, उस सम्बन्ध में कुछ शब्दों की कमी को पूरा करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। तो उन्होंने जितनी बातें अपने संशोधन के समर्थन में कहीं उनको मैं व्यर्थ और निरर्थक समझता हूं और यह आवश्यक समझता हूं कि जो विधेयक माल मंत्री जी ने रखा है उसके लिये अधिक समय की जरूरत नहीं है। हम यहां जनता के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, हमको यह देखना है कि उसके धन का अपव्यय न हो और उसके धन से हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। यह विधेयक केवल शब्दों की शुद्धि के लिये आया है और जिस रूप में आया है उसी में हमको इसे स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव करना एक हास्यास्पद बात होगी। सदन को यह तो समझ ही लेना होगा कि आखिर इस विधेयक में है क्या? वास्तव में यह एक छोटा सा शाब्दिक विधेयक है। धारा ३ की उपधारा (८), जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में एक शाब्दिक त्रुटि रह गयी थी जिसका अंग्रेजी में स्वरूप है "प्रिवेयर्ड ऐण्ड मेन्टेन्ड" यानी उसका रखरखाव और संरक्षण। यह दोनों धारा ३२ और ३३ से मिल कर बनता है, लेकिन चूंकि इसका उल्लेख केवल धारा ३२ में ही था इसलिये उसमें सामंजस्य स्थापित करने के लिये और उस भ्रम को दूर करने के लिये यह विधेयक आया हुआ है।—

हाईकोर्ट की दृष्टि में केवल धारा ३२ का हवाला देना त्रुटिपूर्ण था, इस कारण से आब्जरवेशन लाने की आवश्यकता थी। इसमें केवल थोड़ा सा विस्तार कर दिया गया है। विलीनीकृत रियासतों के रजिस्टरों में शेयरों आदि का विवरण होता है तो उसका भी समावेश इसमें किया

जा रहा है । इसके अलावा और कोई विशेष बात इसमें नहीं है । मैं तो आदरणीय सदस्यों से कहूंगा कि जमींदारी अबालीशन बिल में जो त्रुटियां हैं उनके बारे में माननीय सदस्य स्वयं भी नान-आफिशियल बिल ला सकते हैं और इस प्रकार से सरकार का ध्यान दिला सकते हैं । लेकिन इस संशोधन के सिलसिले में, जो केवल शाब्दिक है, इतना अधिक समय व्यतीत करना ठीक नहीं है और प्रवर समिति में भेजना तो हास्यास्पद ही होगा ।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं श्री बलवान सिंह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इसके कुछ विशेष कारण हैं । मैं आपका ध्यान मूल संशोधन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । जब कोई प्रमुख बिल हमारे सामने पेश होता है तो उसमें हमें यह दिक्कत पड़ जाती है कि यह कह दिया जाता है कि यह बिल बहुत ही मामूली सा है, किन्तु मैं यह देखता हूं कि इन्हीं मौकों पर हम मूल अधिनियम पर आलोचना कर पाते हैं । जमींदारी अबालीशन बिल का संबंध करोड़ों जनता से रहा है, उसके संबंध में जनता को बहुत सी दिक्कतें हैं । तो चाहे हमारे सामने कोई बिल यह कह कर लाया जाय कि हाईकोर्ट के फैसले की वजह से यह हमें लाना पड़ा, हम तो यह प्रार्थना करेंगे कि इन्हीं अवसरों पर इन विधेयकों पर विहंगम दृष्टि डालने का हमें मौका मिलता है, नहीं तो और किसी प्रकार से माननीय मंत्री जी को जनता के दृष्टिकोण से अवगत नहीं कराया जा सकता । लेकिन हमारे माननीय मित्रों की तरफ से यह कह दिया जाता है कि क्योंकि यह शाब्दिक संशोधन है, इसलिये हम अपने को उसी तक सीमित रखें और अगल बगल न देखें तो मैं उनसे पूछूंगा कि अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिये कौन सा मौका पायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि संशोधन के अधीन आप बाहर की बहुत ज्यादा बातें नहीं कहेंगे, उसका कारण यह है कि नियमों के अधीन एक अधिकार आपको है कि आप स्वयं भी संशोधन विधेयक ला सकते हैं । यह बात नहीं है कि आपको और कोई मौका अधिनियम के सुधार का नहीं हो सकता । आप पूरे इस अधिनियम को बदलने के लिये संशोधन विधेयक ला सकते हैं । लेकिन जब आप नहीं लाते हैं और दूसरा लाता है तो हर मौके पर आप अगर पूरे अधिनियम को विचार में ले लेंगे तो सदन का काम नहीं चल सकता । इसलिये अगर आप बहस की पुष्टि में कोई उदाहरण देना चाहें तो दे दें लेकिन अधिक उसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिये ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, आपकी आज्ञा मैं शिरोधार्य करता हूं, किन्तु मैं यह भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि माननीय बलवान सिंह जी का जो प्रस्ताव है उसमें परिधि बढ़ाने की बात भी रखी गयी है । इसलिये जब कोई उधर के पक्ष के लोग कोई संशोधन शाब्दिक आधार पर भी लाते हैं तो हमें परिधि बढ़ाने के अन्तर्गत और भी बातों पर उसके सिलसिले में विचार कर सकते हैं । तो जब यह विधेयक हमारे सामने है तो इस संशोधन के जरिये हम और बातों पर भी विचार करने का अधिकार रखते हैं ।

*श्री चरणसिंह---मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज करता हूं । श्रीमन्, आपने यह फैसला दिया कि इस संशोधन विधेयक के बाहर की एकाध बात ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं, लेकिन मेरे माननीय मित्र यह बहस कर रहे हैं कि, क्योंकि माननीय बलवान सिंह जी के इस संशोधन या प्रस्ताव में ये शब्द हैं कि "इसकी परिधि को बढ़ा दिया जाय", लिहाजा उनको अधिकार हो गया है कि चाहे जो कुछ वे कह लेवें, भूमि-व्यवस्था विधेयक के सिलसिले में, ऐसा वह फरमा रहे थे । तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह आपकी रूलिंग को डिस्प्यूट करना है ।

दूसरी बात, जो रूलिंग आपने दी है, अगर्चे मैं उससे मतभेद रखता हूं, लेकिन मैं उसकी पुष्टि में यह अर्ज करूंगा कि उसकी परिधि बढ़ा दी जाय, अगर उसके माने यह हैं कि भूमि-व्यवस्था विधेयक के सिलसिले में जितनी भी सिद्धान्त की बातें हम तय कर चुके हैं, ३४४ धाराओं का ऐक्ट है, और उसकी हर एक धारा पर, हर सिद्धान्त के सिलसिले में व्याख्यान हो, तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चरणसिंह]

परिधि बढ़ाने के अधिकार की जो बात है, उसको ऐब्यूज करना हुआ । उसका यह अर्थ नहीं होता है । परिधि बढ़ाने का सिर्फ मतलब यह है कि जहां हम संशोधन करने जा रहे हैं, उससे कनेक्टेड जो दो, चार बातें हैं वे भी उसके कंसीडरेशन में आ जायं । माननीय गेंदा सिंह जी ने भी इसी तरह का प्रश्न उठाया था जिनको आपने अपनी उदारता से इजाजत दे दी, लेकिन वे अब जवाब सुनने के लिये हैं भी नहीं, चले गये और उसी मुगालते में श्री मोतीलाल अवस्थी जी भी स्पीच दे रहे हैं। तो मैं अर्ज करता हूं कि आप सिर्फ कनेक्टेड बातों को ही कहने की इजाजत दें, यह मेरा बहुत ही नम्र निवेदन है । बाकी और कुछ नहीं ।

श्री अध्यक्ष—आपका कहना ठीक है, जो मैंने फैसला दिया उसका मतलब यही है । परिधि बढ़ाने की बात चूंकि प्रस्ताव में मौजूद है, इसलिये परिधि क्यों बढ़ा दी जाय, इसके एक दो कारण, मय उदाहरण दिये जा सकते हैं, मैंने यह बतला दिया था । इससे ज्यादा अगर कोई कहने लगे तो अधिनियम में कई सेक्शंस हैं, उन सब का जिक्र हो सकता है और सिद्धान्तों का प्रश्न भी पूरे अधिनियम के बारे में लाया जा सकता है, जिसके लिये मैं इजाजत नहीं देता हूं । उन्होंने कोई उदाहरण अभी नहीं दिया है । अगर कोई उदाहरण अधिक संख्या में वे देने लगे तो मैं रोकूंगा बीच में । उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि चूंकि परिधि बढ़ाने का इसमें जिक्र है, इसलिये मैं इसका जिक्र कर सकता हूं । मैं उनके शब्दों को मार्क कर रहा था। अब कितना जिक्र वे कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा । अगर वे अधिक जिक्र करेंगे तो मैं उनको रोकूंगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे अधिकार की सुरक्षा की । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसा मालमंत्री जी को शंका हुई है कि मैं जमींदारी अबालिशन एक्ट की सभी धाराओं पर आलोचनात्मक भाषण दूंगा, मेरे पास इतना समय भी नहीं है । मैं सिर्फ दो, तीन सम्बन्धित चीजों की तरफ ही आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । श्रीमन्, मुझे तो ताज्जुब होता है जिस वक्त कि उधर के लोग इस पक्ष के लोगों को प्रजातंत्र की चीजें सिखलाने लगते हैं और यह कहने लगते हैं कि आप को इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिये । क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि प्रजातंत्र का यह अर्थ निकाला जाय कि एक ही पार्टी का बोलबाला हो ? उनका प्रजातंत्र अनोखा हो सकता है, जिसमें एक ही पार्टी हो सकती है और एक ही विचारशैली हो सकती है । विरोधी पक्ष के लोगों ने स्पष्ट बतला दिया है कि आपकी निगाह शासन की कमियों की ओर नहीं जा सकती है, आपकी निगाह तो सिर्फ एक ही तरफ होती है कि शासन में किस तरह से बने रहें । शासन की कमियों को समझाने के लिये मैं आपका ध्यान विशेष तौर से जमींदारी अबालिशन ऐक्ट की धारा ११३ की तरफ दिलाना चाहता हूं जो ग्राम समाज और गांव सभाओं के सम्बन्ध में है.....

श्री बलवान सिंह—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर । सदन में कोरम नहीं है ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर कार्यवाही जारी हुई ।)

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं माननीय माल मंत्री जी का और सदन का ध्यान आप के द्वारा उन दफाओं की तरफ दिलाऊंगा जो जमींदारी विनाश अधिनियम में ग्रामसमाजों के सम्बन्ध में रखी गयी हैं । इस कानून के पास हो जाने के बाद ग्रामीण जनता में प्रमुख आशायें थीं कि जमींदारी हट जाने के बाद उनके स्थान पर ग्राम-समाजों की स्थापना होगी और वही नये विचारों के अनुसार ग्रामों का प्रबन्ध करेंगे । पहले आशा उनकी यह थी कि ग्राम समाज स्थापित होने पर लगान वसूली का काम उनके सुपुर्द किया जायगा लेकिन ऐसा आज तक नहीं हो सका है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह ग्राम समाज अपंगु से हो गये

हैं । दफात ११३, ११४, ११५ में जो व्यवस्था की गई है और जो अधिकार दिये गये हैं उनकी ओर भी मैं सरकार का ध्यान दिलाऊंगा । यद्यपि जमींदारी अबालिशन के बाद ग्राम समाजों को बंजर, ऊसर, जंगल और आबादी का मालिक बनाया गया है लेकिन वह आज हर मामले में अपंगु सी हैं और उनके सम्बन्ध में जो भी किसान बनाम ग्राम-समाज के झगड़े होते हैं वह सब तहसीलदार और परगना हाकिम के यहां जाते हैं और बरसों पड़े रहते हैं और जिस तरह से आज दीवानी की अदालतों में हजारों मुकदमे पेंडिंग पड़े रहते हैं और हाईकोर्ट में व तमाम अदालतों में लाखों की तादाद में मुकदमे पड़े हुये हैं और दिन ब दिन एरियर्स बढ़ते जाते हैं, बहुत जल्द ऐसे केसेज की तादाद हर जिले में २० हजार हो जाने वाली है । इसका मुख्य कारण यह है कि जमींदारी अबालिशन के बाद इस बात की कोशिश नहीं की गई कि गांवों के मामले और प्रबन्ध ग्रामसमाजों के द्वारा ही ठीक किया जाय और सम्हाला जाय और सारी व्यवस्था वहां की एक ड्वेल सिस्टम पर आधारित है । एक तरफ तो कागज पर ग्राम समाज बने हुये हैं और दूसरी तरफ हर प्रकार की व्यवस्था कायम करने का अधिकार अदालतों को दिया गया है और वहां पर हर मामले में बरसों लगते हैं और कानूनी बारीकी लगी रहती हैं और इसी वजह से कोई अमनोअमान नहीं कायम हो पा रहा है. . . .

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अब आप ब्योरे में जा रहे हैं . . .

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैंने जिस तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट कराया वह यह है कि यद्यपि हमारे यहां ग्राम समाजों की स्थापना की गई लेकिन उनके सुपुर्द जो काम किया गया वह इसलिये पूरा नहीं हो पाया क्योंकि जो प्रबन्ध था उसमें ड्वेल सिस्टम रखा गया है । एक तरफ तो रेवेन्यू विभाग का वहां हाथ रखा गया है और दूसरी तरफ ग्राम रिपब्लिक्स बनाई गई हैं, इन दोनों के बीच ठीक से शक्ति का वितरण होना चाहिये था. . .

श्री अध्यक्ष—आप वह प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन आगे क्या क्या हो यह भी आप बताने लगें तो उचित न होगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—अब मैं अधिक न कहकर केवल मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करूंगा कि ग्राम समाजों की स्थापना के विषय में पुनः अवलोकन होना चाहिये और वह ग्राम समाज तभी सशक्त हो पायेंगे जब वसूली आदि के अधिकार उनको दिये जायं, जब हम इसको किसी सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करें और वहां हमें इसका सिंहावलोकन करने का मौका मिले ।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि यह हाईकोर्ट की जो रूलिंग पिछले साल हुई उस पर माननीय माल मंत्री ने यह संशोधन रखने की कोशिश की । मैं उनसे आज प्रार्थना करूंगा कि उन्हें थोड़ी सी विशाल-हृदयता दिखानी चाहिए और अपने उस जमींदारी अबालीशन कानून की जांच करके देखना चाहिए क्या जनता की तरफ से उस कानून के ऊपर प्रतिक्रिया हुई है ? वह अपनी उन किताबों की तारीफ के पुल बांध देते हैं कि इस जमींदारी अबालीशन कानून के बाद इतने ज्यादा लेखपालों को बंद दिया गया और इतने ग्राम समाजों की स्थापना हुई और कुछ चन्द गांवों में वसूलयाबी का अधिकार दे दिया गया । लेकिन क्या उन प्रतिक्रियाओं पर भी ध्यान दिया गया जो देहात में इसके बाद पैदा हुईं ? यह जमींदारी अबालीश तो जरूर हुई है लेकिन ग्राम समाज इस प्रकार से निरंकुश और इस प्रकार से निष्फल और अपंगु हो गए हैं कि वह न भूमि की कोई व्यवस्था कर पाये हैं न काश्तकारों में कोई जमीन का वितरण ठीक तरह से कर पाये हैं, कुछ भी काम उनसे नहीं हो सका है । इसलिए मैं चाहता हूं कि इस कानून को इतनी जल्दबाजी से पास करने की चेष्टा न करें और केवल-मात्र यही कह कर के न रह जायं कि मुझे एक चीज यह दिखाई पड़ी और वह भी तब दिखाई पड़ी जब हाईकोर्ट ने वायड कर दिया । हाई-कोर्ट की अगर रूलिंग न हुई होती तो शायद रेवेन्यू डिपार्टमेंट और माननीय माल मन्त्री जी यह सोचते रहते कि हर चीज बदस्तूर चली जा रही है । जनता हर चीज को बहुत पसन्द कर

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

रही है। केवल जब यह कानूनी बाध्यता आती है तब माल मन्त्री जी की नीति में भंग पड़ता है वरना वह तो यह सोचते रहते हैं कि जनता बड़ी खुशहाल है, सब लोग जय-जयकार मना रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जरा ग्रामीण समाज के उन क्षेत्रों में भी जाने की कोशिश करें। पूर्वी क्षेत्र का तो बड़ा होहल्ला है और उसके लिए जरा घबराहट भी है उनके अन्दर, लेकिन उसके अलावा भी और क्षेत्र हैं जहां ग्राम समाज की स्थापना के बाद भी कोई हित उनका नहीं हुआ है। आज जमींदार हट गए लेकिन उनकी जगह उनसे ज्यादा निरंकुश सभापति आ गए जो किसी तरह गांव की उन्नति होने नहीं देते हैं। अतः मैं प्रार्थना करूंगा कि इसकी परिधि बढ़ा दी जाय और जो सदस्य वहां सेलेक्ट कमेटी में जायं उनको इस बात का मौका मिले कि जो त्रुटियां उनको दिखाई पड़ती हों उनको वह प्रकट कर सकें और उनको सामने रखते हुए इसमें संशोधन किया जाय।

श्री रामलक्षण (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

***श्री चरणसिंह**—अध्यक्ष महोदय, यह जैसा कि विदित है, एक परिभाषा को संशोधित करने के लिए एक छोटा सा विधेयक मैं लाया था। उस पर एक संशोधन यह आया कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो। विधेयक की परिधि बढ़ाने के जो शब्द लिख दिये गए हैं उस प्रस्ताव में उनसे फायदा उठाकर कोशिश यह है कि जो भूमि-व्यवस्था यहां कायम हुई है उसके सिलसिले में जिस भाई के मन के अन्दर जो भी विचार हों वह यहां कह दिये जायं।

एक सदस्य—कहा कहां गया ?

श्री चरणसिंह—कोशिश यह है। कामयाबी ज्यादा नहीं हुई, कुछ तो हुई। अध्यक्ष महोदय, यह जैसा मैंने अर्ज किया था यह केवल हाईकोर्ट के एक जज ने आब्जर्वेशंस दिए। फैसला गवर्नमेंट के म्वाफिक किया। लेकिन यह एक मशविरे के तौर पर उन्होंने कहा कि 'सेक्शन ३३' लफ्ज इसमें और बढ़ा दिये जायं, क्योंकि भूमि अभिलेखों का प्रिपरेशन ३२ में होता है, और मेन्टीनेंस सेक्शन ३३ लैंड रेवेन्यू ऐक्ट में होता है जब कि हमारी परिभाषा में शब्द थे कि जो भूमि अभिलेख जिनका प्रिपरेशन और मेन्टीनेंस दफा ३२ में होता है।

अब माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि अदालतों ने फैसले दिये हैं कुछ। कोई अदालतों ने फैसले नहीं दिये थे, केवल हाईकोर्ट के एक जज ने अपने आब्जर्वेशन किये हैं, जब कि फैसला गवर्नमेंट के पक्ष में ही दिया। तो अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करता हूं कि जहां तक इस संशोधन का ताल्लुक है इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं।

अब इस अधिनियम के अन्दर कुछ गलतियां हैं, कुछ खामियां होंगी, उन सबकी छानबीन करके एक व्यापक विधेयक लाया जाय, तो हो सकता है और गलतियां हों। मैंने कभी नहीं दावा किया कि मैं गलती नहीं करता। मालूम नहीं माननीय गेंदासिंह जी क्यों नाराज हैं। जब उठते हैं तभी कहते हैं कि मैं दावा करता हूं कि मैं कभी गलती नहीं करता हूं। मैं जानना चाहूंगा मैंने कब दावा किया था ? मैं बैठने को तैयार हूं, मेरी स्पीचेज की रिपोर्ट्स यहां मौजूद होंगी। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर कोई एक सेंटेंस यह दिखा दिया जाय कि जब मैंने यह कहा हो कि मैं कभी गलती नहीं करता हूं या गवर्नमेंट गलती नहीं करती। मैं तो अपनी स्पीचेज में यहां तक कहता हूं कि यह गवर्नमेंट क्या बल्कि केन्द्र की गवर्नमेंट भी गलती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करती है । और यही नहीं लीडरों का जो लीडर था, महात्मा गांधी, वह भी गलती करता था । फिर मैं नाचीज जिसका कि इतना नोटिस ले रहे हैं माननीय गेंदासिंह जी, बड़ी मेहरबानी करते हैं मेरे ऊपर, मैंने कभी नहीं कहा । और अध्यक्ष महोदय, वह अगर नहीं दिखा सकें तो मैं उनसे हाथ जोड़ कर दरख्वास्त करूंगा कि यदाकदा, वक्त बेवक्त, इस बात को न दोहरायें । वह जब बोल रहे थे तो मैंने आपकी तरफ देखना शुरू कर दिया, क्योंकि उधर देखता तो कहते कि लीजिये साहब डंडा दे दीजिये रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को । इसलिये मैं आज डेलिबरेटली चुप रहा और आपकी तरफ देखने लगा ।

दूसरी बात यह आपने जो इजाजत दे दी थी उनको और बातें कहने की, अगर्चे जैसा मैंने अर्ज किया केवल डेफिनीशन के सिलसिले में ही परिधि बढ़ा सकते थे और उसी के सिलसिले में उनको कहने का हक था । लेकिन खैर ? आपने फैसला दिया और उन्होंने कहा कि इसमें अनेकों चीजें हैं जिससे करोड़ों किसानों को नुकसान होता है और उनको मुर्गा बनाया जाता है । 'मुर्गा' लफ्ज उनकी जबान पर बहुत चढ़ा हुआ है । उन्होंने कहा कि किसान को रेहन करने का हक नहीं दिया गया....

श्री अध्यक्ष—मैं मंत्री जी से इतना पूछूंगा कि अगर आप समझते हैं कि कोई चीज किसी ने असंगत कही है तो क्या आपको उसका जवाब भी देना जरूरी है ?

श्री चरणसिंह—आपने इजाजत दे दी थी उनको ।

श्री अध्यक्ष—आप को भी मैं रोक नहीं सकता । आप जवाब में अगर कहना चाहें तो कह दें ? लेकिन बात यह है कि वह बात ही मूल में असंगत थी ।

श्री चरणसिंह—जो उन्होंने सिद्धान्त की बात कही थी उसका थोड़ा जवाब दूंगा । उन्होंने कहा कि किसान को हमने रेहन करने का हक नहीं दिया । उसके मुताल्लिक मैं यह अर्ज करूंगा कि यह बड़ी उसूली बात है । अगर किसान को रेहन करने का हक दे दिया जाय तो जमींदारी अबालीशन का जो परपज है वह फेल हो जाता है । माननीय गेंदासिंह जी यह कह कर कोई बहुत दूर की कौड़ी नहीं लाये ।

जब पिछली बार रूल बनाये गये थे तो यह एक बुनियादी बात थी जिसको बहुत सोच समझ कर किया गया । मुझे अफसोस और ताज्जुब है कि कोई आदमी जो अपने को किसानों का हित-चिन्तक बनने का दावा करता हो वह यह कहे कि किसानों को रेहन करने का हक दे दिया जाय । इसलिये कि जरे पेशगी लीज व रेहननामे में बहुत माइनर टेक्निकल डिफरेंस है जिसमें हाईकोर्ट डिफर करते हैं कि एक ही डाक्युमेंट के मुताल्लिक दो रायें हो सकती हैं । रेहननामे दखली की अगर इजाजत दे देते हैं तो इसके मतलब हुए आर्डिनरी लीज से । आर्डिनरी लीज और जरे-पेशगी लीज में सिर्फ यह फर्क है कि आर्डिनरी लीज में लीज देते हैं छमाही या सालाना और जरे पेशगी लीज में लीज पेशगी दे देते हैं । इस तरह से दोनों एक ही हो जाते हैं । इसके मानी यह हुए कि टाइटिल किसी के पास रहे और पजेशन किसी के पास । उसे चाहे मार्गेजी कह लीजिये या लेसी कह लीजिये । रेहननामे के नाम पर लीजेज होने लगेंगे और फिर लैंडलार्डिज्म आ जायगी । हमने जो ला बनाया है उसमें यह किया है कि टाइटिल और पजेशन एक ही आदमी के कब्जे में रहेगा । वह बटेगा नहीं । माननीय गेंदासिंह जी ने कहना शुरू कर दिया कि किसी ने कभी गौर नहीं किया, लेकिन ऐसी बात है नहीं । यह नहीं कि उसमें गलतियां हैं नहीं । गलतियां उसमें प्रोसीजरल हैं, लेकिन जो उन्होंने बुनियादी बात कही उसका सवाल उठ ही नहीं सकता, कभी उसका संशोधन हो ही नहीं सकता जब तक मेरे खयाल के लोगों और मेरी पार्टी के हाथ में इस सूबे की सेवा करने का अधिकार हासिल है ? क्योंकि वह लैंडलार्डिज्म लाना नहीं चाहती ।

गांव समाज के मुताल्लिक कुछ कहा गया । हर चीज पर कुछ न कुछ कहा जा सकता है । हर चीज में खराबी होती है । गांव समाज मैनुअल जो हमने लिखा उसके मुताल्लिक

[श्री चरणसिंह]

मोतीलाल जी अवस्थी यह लिख कर भेज दें कि यह खराबी है इस स्कीम में या इस ला में तो मुझे बहुत खुशी होगी। विचार विमर्श के बाद जरूरी हुआ तो संशोधन भी कर दूंगा, लेकिन कोई खराबी बतलायी नहीं जाती, जनाब मैंने आज तक कोई बतलायी नहीं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---बता दी जायगी।

श्री चरणसिंह---तो ठीक भी कर दी जायगी, लेकिन कोई खराबी आप को अब तक दिखाई नहीं दी इसलिये आपको इस तरह की तकरीर करने का हक नहीं रह जाता। हक तो है तकरीर का, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। गांव समाज के प्रधान अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिये अगर मेरी नोटिस में या अफसरों की नोटिस में आये, लेकिन स्कीम में क्या खराबी है, ये दोनों चीजें अलग-अलग हैं। इन चीजों का इससे कोई वास्ता नहीं है। प्रोतीजर की कुछ माइनर मिस्टेक्स हैं। जुलाई के सेशन में एक बिल लाने की मैं सोच रहा हूं। १०-२० अमेंडमेंट्स होंगे।

यह संशोधन मुझको मंजूर नहीं है और जो संशोधन के हक में दलीलें दी गयी हैं वह कोई असर रखने वाली नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५८ दोनों सदनों की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे यह भी अधिकार हो कि वह इस विधेयक की सीमा को भी बढ़ा सके और प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन ३० दिन के भीतर सदन को देदे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में---३२,
विपक्ष में---७६।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १ व २

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५१।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५८

१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम को संशोधित करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम को यहां आगे प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिये संशोधित किया जाय,

अतएव भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :---

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१---(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा।

(२) यह जुलाई, १९५२ के प्रथम दिन से प्रचलित हुआ समझा जायगा ।

२--१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३ में खंड (८) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय तथा सदैव से ही रखा हुआ समझा जाय :--

"(८) 'आस्थान' का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है और सदैव से माना जायगा जो यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ३२ के, जैसी कि वह इस अधिनियम के प्रचलित होने के ठीक पूर्व थी,

खंड (ए), (बी), (सी) या (डी) में वर्णित किसी रजिस्टर के,

और जहां तक कि उसका सम्बन्ध दवामी काश्तकार से है, खंड (ई) में वर्णित किसी रजिस्टर के,

अथवा खंड (ई) में वर्णित रजिस्टर के सम्बन्ध में उल्लिखित प्रतिबन्ध के अधीन रहते हुये, उक्त ऐक्ट की धारा ३३ के अधीन रखे गये किसी रजिस्टर के,

अथवा उसी प्रकार के अन्य किसी रजिस्टर के, जो किसी समय भी प्रचलित अधिकार-अभिलेखों के तैयार करने व बनाये रखने से सम्बन्धित किसी भी अन्य अधिनियम, नियम, विनियम या आदेश में वर्णित हो अथवा उसके अधीन तैयार किया गया या रक्खा गया हो,

किसी एक इन्दराज के अन्तर्गत हो,

और उसमें किसी आस्थान में भाग अथवा उसके अंश का भी अन्तर्भाव है ।

स्पष्टीकरण--इस खंड में अभिदिष्ट अधिनियम, नियम, विनियम या आदेश के अन्तर्गत उन विगत भारतीय राज्यों द्वारा बनाया गया या प्रख्यापित अधिनियम, नियम, विनियम या आदेश भी है जिनकी भूमि इस अधिनियम की धारा ४ के अधीन विज्ञापित निहित होने के दिनांक के पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य में विलीन या अन्तर्भूत हो गई थी ।"

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १ व २, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५८ पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५८ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (वैधीकरण) विधेयक, १९५८

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (वैधीकरण) विधेयक, १९५८ [U. P. Sales Tax (Validation) Bill, 1958] पर विचार किया जाय ।

---

*३ अप्रैल, १९५८ की कार्यवाही में छपा है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—मान्यवर, प्रक्रिया नियमावली के नियम ९५ के प्रतिबन्धात्मक खंड में यह अंकित है कि तीन दिन पहले सदस्यों को बिल की सामग्री उपलब्ध हो जानी चाहिये, लेकिन जिस विधेयक के सम्बन्ध में विचार करने के लिये माननीय मंत्री जी आग्रह कर रहे हैं उस की सामग्री हम सब लोगों को केवल परसों उपलब्ध हुई है और मान्यवर, इसका जो शीर्षक है वह भी वैधीकरण के सम्बन्ध में है। तो मैं वैधीकरण के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करते हुये चाहूंगा कि कोई अवैधानिक कार्यवाही न हो। इसलिये मेरी राय में इस पर आज विचार न किया जाय।

श्री अध्यक्ष—यह आपने एतराज किया, लेकिन उसी में आगे यह भी लिखा हुआ है:—

"Provided that no such motion shall be made until after copies of the Bill have been made available for the use of members, and that any member may object to any such motion being made unless copies of the Bill have been so made available for three days before the motion is made, and such objection shall prevail unless the Speaker allows the motion to be made." तो मैं उनको इजाजत दे रहा हूं। क्योंकि बिलकुल साधारण सा और छोटा सा यह विधेयक है इसलिये दो रोज की सूचना उसके लिये मैं काफ़ी समझता हूं और उसके लिये इजाजत देता हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—अगर इजाजत हो तो थोड़ा सा मैं अर्ज करूं।

श्री अध्यक्ष—अब तो मैं इजाजत दे चुका हूं।

***श्री चरणसिंह**—अध्यक्ष महोदय, मैंने अर्ज किया कि इस विधेयक पर विचार किया जाय। अब इस विधेयक के पेश करने की नौबत यों आई कि मार्च, १९५६ में एक आर्डिनेन्स जारी हुआ था। उस आर्डिनेन्स के मातहत नोटिफ़िकेशन हुआ कि अमुक-अमुक संशोधित धारायें १ अप्रैल, १९५६ से लागू समझी जायंगी और उसी रोज एक नोटिफ़िकेशन यह निकला कि १ अप्रैल से जो अमुक धारा गालिबन ३—ए उसका नाम है, मुझे ठीक इस वक्त याद नहीं है, नाफ़िज की जा रही है, उसके मातहत फलां फलां सामान पर इस दर से टैक्स लगेगा और इस आर्डिनेन्स को एक कानून की शक्ल दी गयी जो कि गालिबन सितम्बर, १९५६ में पास हो गया। अब एक व्यक्ति या एक फ़र्म हाईकोर्ट गयी रिट लेकर और वहां यह दलील दी गई कि पहली अप्रैल, १९५६ से जो धारायें एन्फोर्स की गईं उन धाराओं के मातहत नोटिफिकेशन निकालने का अधिकार गवर्नमेंट को था और वह नोटिफिकेशन पहली अप्रैल या उसके बाद निकलना चाहिये था, लेकिन वह नोटिफिकेशन बाद में निकालने के बजाय ३१ मार्च को ही निकाल दिया गया और यह विज्ञप्ति पहली अप्रैल को निकाली गई कि पहली अप्रैल को यह धारायें एन्फोर्स हो जायंगी। लेकिन यह विज्ञप्ति उन धाराओं के मातहत निकाल देना कि फलां फलां सामग्री पर बिक्री-कर लगेगा तो यह नोटीफ़िकेशन ३१ मार्च को नहीं निकल सकता था। यह बहस हाईकोर्ट में की गई और हाईकोर्ट ने उस बहस को मान लिया और उन्होंने कहा कि यह आर्डिनेन्स और यह ऐक्ट इनवैलिड है।

अब १९५७ में कानूनी सलाहकारों के मश्विरे से गवर्नमेंट एक छोटा सा बिल और लायी। वह धारायें जो पहली अप्रैल को फोर्स में आ गई थीं, उनको रिट्रोस्पेक्टिव अफ़ेक्ट दे दिया जाय अर्थात् वह ३१ मार्च में आई समझी जायं, इसलिये कि नोटिफिकेशन ३१ मार्च को निकल चुका है। जब वह धारायें फोर्स में आ जायंगी तो फिर गवर्नमेंट को यह नोटिफिकेशन निकालने का अधिकार मिलेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, कोई साहब बंगाली थे और सतीशचन्द्र नामक एक अलीगढ़ की फर्म थी, वह फिर हाईकोर्ट में गये और वहां बहस यह की गई कि नोटीफिकेशन ३१ मार्च, १९५६ को निकल चुका था जब कि गवर्नमेंट को अधिकार नहीं था। अब ३१ मार्च को एक १९५७ के ऐक्ट से उन धाराओं को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया गया तो ऐक्ट के पास होने के बाद अज सरे नौ नोटीफिकेशन निकलना चाहिये था और अगर नहीं निकलना चाहिये था तो जो ३१ मार्च को नोटिफिकेशन निकला है उसी को वेलीडेट कर दिया जाना चाहिये था और उस नोटिफिकेशन को भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहिये था। यह बहस की गई।

अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा प्वाइंट है जिसकी बाबत दो रायें हो सकती हैं और एडवोकेट जनरल के मश्विरे से, जो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, उनकी राय से एक छोटा सा ऐक्ट १९५७ में सरकार लाई। अभी भी गवर्नमेंट के कानूनी सलाहकारों का कहना है कि गवर्नमेंट का स्टैंड सही है और अपील सुप्रीम कोर्ट में कर दी जाय, लेकिन अगर हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और हमारे हक में फैसला हुआ तब भी महीनों लग सकते हैं और एक एक वर्ष भी लग सकता है और इस बीच में जो टैक्स लगाया गया था पहली अप्रैल, १९५६ से उसका कुछ का तो असेसमेंट हो गया था और बाकी स्टे हो गया और जो असेसमेंट हो गया था उसका रियेलाइजेशन होना है। वह रकम दो साल की लगभग दो-तीन करोड़ के बैठती है। इसीलिये अगर हम अपील करते हैं तो इसमें और मुद्दत लगेगी और ५ करोड़ के करीब रकम हो जायगी। इस तरह से रियेलाइजेशन आगे बढ़ता चला जायगा। इससे स्टेट को नुकसान होगा ही साथ में दुकानदारों पर भी बोझा पड़ेगा क्योंकि तीन साल का टैक्स एक दम देना होगा। इसलिये हमने अपील करने के बजाय यह मुनासिब समझा कि नोटिफिकेशन को वैलीडेट करके और जितने प्रिकाशन्स लिये जा सकते हैं उन सब प्रिकाशन्स को लेते हुये और एक बिल लाया जाय और विधान मंडल से दरख्वास्त की जाय कि वह उसको मन्जूर करे ताकि जो टैक्स लगाया गया है और बाकी है वह वसूल हो जाय। उसकी जरूरत इसलिये हुई कि हाईकोर्ट ने कहा कि जब ३१ मार्च को नोटिफिकेशन निकला तब गवर्नमेंट को अधिकार नहीं था और जब उसके बाद हमने उस अधिकार को लिया तो वह फिर कहते हैं कि दोबारा नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकला या उस पहले नोटिफिकेशन को वैलीडेट क्यों नहीं किया? तो इस तरह से एक लीगल झमेले में जब फंस गये तो उसको हल करने के लिये यह बिल लाया गया है। माननीय मित्रों ने इसको पढ़ लिया होगा क्योंकि जैसा आपने फरमाया दो दिन से यह उनके सामने है। जजमेंट की कापी भी मैंने आपके पास भेज दी है। किसी साहब ने उसको देखने को कहा था तो उन्होंने उसको देख लिया होगा। उस नोटिफिकेशन को वेलिडेट करने के लिये धारा २ की उपधारा १ में यह कहा गया है कि जो कार्यवाही अब तक हुई है पुराने कानून या आर्डिनेन्स के मातहत और जो नोटिफिकेशन निकाला गया जिसका हाईकोर्ट ने जिक्र किया है उन सब को वेलिडेट किया जाय। खंड ३ में यह है कि जो फैसले हमारे खिलाफ हो चुके हैं अदालत वगैरह में या कहीं भी ३ महीने के अन्दर गवर्नमेंट की तरफ से सेल्स टैक्स कमिश्नर उनको रिव्यू करा सकते हैं और वह प्रोसीडिंग रिओपिन हो सकती हैं ताकि जो टैक्स हमको मिलना चाहिये वह मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ शाब्दिक संशोधन हैं। मैंने वह आपके पास भेज दिये हैं उनको भी इनके अन्दर किया जाना है। मैं आशा करता हूं कि यह सदन मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस संशोधन को पेश करने के पेश्तर यह जानना चाहता हूं कि यह मनी बिल है, सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में, तो क्या इसको पेश करने के लिये राज्यपाल महोदय की अनुमति ले ली गई है?

श्री अध्यक्ष—राज्यपाल महोदय की अनुमति आ चुकी है। यह कहना आवश्यक नहीं है जैसे कि बजट के अनुदानों में कहा जाता है कि राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह

[श्री अध्यक्ष]

विधेयक उपस्थित करता हूं। सिर्फ मुझे सूचना मिलनी चाहिये कि उनकी अनुमति मिल गई है। मेरे पास उनकी आज्ञा आ चुकी है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—मेरा संशोधन इस तरीके से है कि यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (वैधीकरण) विधेयक, १९५८ इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो। (प्रवर समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

ऐसे बिल श्रीमन्, जब कभी इस माननीय सदन के सामने आते हैं तो प्रायः मैं तो कहूंगा सदा ही—हमारी सरकार की तरफ से कहा जाता है कि यह छोटा सा बिल है और इसको बहुत जल्दी पास कर देना चाहिये। इस माने में यह मामूली जरूर लगता है, लेकिन जब हाईकोर्ट के सामने बहस के लिये जाता है तो वहां पर वह और भी फीका और मामूली सिद्ध होता है। एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, जैसे श्रीमन्, पुराने साइकिल के टायर में चिप्पियां लगती हैं उसी तरह से यह हमारा सेल्स टैक्स का कानून हो रहा है। माननीय चौधरी साहब अगर इस विभाग में पहले से होते तो शायद ऐसा न होता। मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कहता, लेकिन इसमें देखिये कि ९ संशोधन हैं। एक कानून हम १९५८ में पास कर चुके हैं, उसकी स्याही भी नहीं सूख सकी कि यह दूसरा आ गया। बड़ी इस विभाग के अफसरों की तारीफ की गई, बड़े काबिल हैं, बड़ी मोटी-मोटी तनख्वाहें हैं, लेकिन यह क्या कि यह ऐक्ट इन्वैलिड करार दे दिया गया हाईकोर्ट में और दुर्भाग्य हमारा यह कि जब परसों इस संशोधन की एक प्रति मैंने चाही तो माननीय मंत्री जी से भी एक प्रति देखने को उपलब्ध नहीं हो सकी। मैंने परसों ही अर्ज किया था। इसके अलावा मैंने लाइब्रेरी में भी देखा, लेकिन वहां एक पुरानी प्रति ए० आई० आर० की मिली। यहां का एक मुख्य अखबार है जिसमें वह रूलिंग रिपोर्टेड है....

श्री चरण सिंह—दोनों जजमेंट और नोटिफिकेशन आपके यहां परसों मैंने भिजवा दिये थे। आप देख सकते थे।

श्री अध्यक्ष—फैसला तो मेरे पास मौजूद है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—माननीय मंत्री जी की तो आदत है बिगड़ने की। मैंने कोशिश की और अपने दफ्तर में भी पूछा। अगर आप सदन की कार्यवाही देखने का कष्ट करेंगे तो उसमें मिलेगा।

श्री चरणसिंह—मैंने परसों ही भिजवा दिया था।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—तो मुझे नहीं मालूम हुआ। श्रीमन्, कहा जाता है कि अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कीजिये। जो आर्डिनरी रूल तीन दिन का है उसे भी निलंबित किया जाय और इसके लिये यह कहा गया कि इसके पास न होने से साढ़े चार करोड़ की तो गड़बड़ है ही और आगे फैसला होने तक ४,६ करोड़ की और गड़बड़ हो सकती है। तो यह जो मामूली सा बिल है उसके चलते ९,१० करोड़ का तस्फिया हो जायगा और इसके लिये हम से कहा जाता है कि जल्दी से पास कर दो। यह बात हमेशा की है, केवल आज की नहीं। इसके लिये मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा इस ओर कि जो यह जिद होती है उसका नतीजा यह होता है कि हाईकोर्ट में जो यह सब होता है वह सरकार के लिये और सदन के लिये कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं है। इस एक रूलिंग को ही देखें। मोदी फूड प्रोडक्ट्स वर्सेज कमिश्नर सेल्स टैक्स, यह २५-४-५४ की रूलिंग है। बाद में रूल्स और नोटिफिकेशन को बदल दिया गया। इसमें भी सरकार को मुंह की खानी पड़ी हाईकोर्ट के सामने। इसके बाद शायद माननीय मंत्री जी ने आदर्श भंडार वाले फैसले का जिक्र किया। इसके बीच मुझे एक बात याद आ गई जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। हमसे बार-बार कहा जाता है कि विवाद का स्तर ऊंचा रखो। लिटरचर मिलता नहीं,

कोई और चीज मिलती नहीं, लेकिन स्तर बहस का ऊंचा हो। कैसे होगा? माननीय चरणसिंह जी काबिल हैं, लेकिन मुझे माफ करेंगे यह कहने के लिये कि शायद यह विभाग उन्होंने अभी हाल ही में सम्हाला है और शायद आज सुबह उन्होंने इस विधेयक के लिये विभाग वालों से मश्विरा लिया होगा। तैयारी का मौका सबको होना चाहिये चाहे चरणसिंह जी हों या जवाहरलाल जी हों। उन्होंने कहा कि एक सेक्शन था, उसकी जगह दूसरा बदला गया और फिर नोटिफिकेशन लाया गया। उन्हें स्वयं मालूम नहीं है कि वह करने क्या जा रहे हैं। तो हमसे उस पर राय प्रकट करने की आशा करना उचित नहीं है। इस विधेयक में करोड़ों रुपये के टैक्स का सवाल है, १ अप्रैल, सन् १९४८ तक के असेसमेंट तब्दील हो सकते हैं। वह कहते हैं कि—

"Notwithstanding any judgement, decree or order of any Court, the notifications specified in Part A, Part B, and Part C of the Schedule shall be deemed to have been issued in exercise of the powers conferred respectively by section 3, section 3—A, and section 4, of the U. P. SalesTax Act, 1948, as if the said sections were enforced on the date on which the notifications were issued in the form in which they were enforced immediately before the commencement of this Act and all the said notifications shall be valid and deemed to have been...." वगैरह-वगैरह।

कहने का मतलब यह है कि जब से सेल्स टैक्स लगा है तब से हो सकता है। जो नोटिफिकेशन आज हाईकोर्ट ने रद्द किया है वह ही नहीं, इसमें और भी कई नोटिफिकेशंस का जिक्र है। सरकार एक ओर तो कहती है कि जिस दिन उसे ताकत थी उस दिन नोटिफिकेशन नहीं किया और दूसरी ओर कहती है कि जिस दिन नोटिफिकेशन किया था उस दिन ताकत नहीं थी। एक नोटिफिकेशन नम्बर ९०५ का था नहीं मालूम क्या, ठीक मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं जल्दी में देख नहीं सका, उसके बारे में है। सरकार को स्वयं मालूम नहीं है कि जो नोटिफिकेशन उसने जारी किये हैं वे वैलिड हैं या नहीं।

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण सवा दो बजे जारी रखेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि हेस्टी लेजिस्लेशन का क्या नतीजा होता है और उसका ज्वलंत उदाहरण हमारा यह वर्तमान बिल है। इस तरह के बिल रोज आते हैं। जैसा कहा गया है कि साढ़े चार करोड़ रुपये का फर्क पड़ गया इस बिल के वक्त पर पास न होने से, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उतावली दिखायी जाती है। इसी सत्र में एक सेल्स टैक्स का बिल हम पास कर चुके हैं। उस वक्त भी हमने अर्ज किया था कि इस पर अच्छी तरह से गौर होना चाहिये। अब हाईकोर्ट की रूलिंग भी इसके खिलाफ हो गयी है, ऐसी हालत में हमें इस पर अच्छी तरह से विचार करना चाहिये। आप अपने लीगल एक्सपर्ट्स को बैठा लीजिये, हम लोग भी बैठे और ठंडे दिमाग से अपनी चीज राय पेश करें। हमें भी राय देने का मौका हो और चेम्बर आफ कामर्स से भी कुछ लोगों को आप बुला लें, जिनके ऊपर इसका असर पड़ता है।

श्री चरणसिंह—अगर इसमें उनकी राय मानी गयी तो शायद यह सेल्स टैक्स ही खत्म करना पड़े।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—लेकिन बहुमत तो आपका ही होगा उसको मानना या न मानना तो आपके ही अधिकार में होगा। हम जो यहां राय देते हैं, उसकी ही आप क्या कद्र करते हैं? सामने हीरे भी बिखेर दिये जायं तो क्या, उसकी परख तो जौहरी ही कर सकता है। मैं सरकार की मजबूरी भी समझता हूं। वह यह कि जब पावर्स का अथवा 'आफिसेज' का डिसेंट्रलाईजेशन होता है तो एक आफिसर में उन सब पावर्स को सेन्ट्रे-

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

लाइज कर दिया जाता है, किसी एक आदमी पर ही ज्यादा बोझा डाल दिया जाता है। हम जो लोग यहां बहुत से बैठे हुए हैं, उनमें बहुत से वकील हैं, जब हम लोग यहां सदन में आते हैं तो हमारी वकालत पर असर पड़ता है। भगवान राम या तो अयोध्या में ही रह सकते थे या रावण को मार सकते थे, दोनों काम एकदम नहीं हो सकते थे, लेकिन यहां पर जो लीगल रिमेम्बरेंसर हैं, वही जुडीशियल सेक्रेटरी भी हैं चीफ एलेक्टोरल आफिसर भी हैं, इस तरह से करीब ६ पद उनके पास हैं।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कुछ विषयान्तर हो रहा है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब किसी एक ही आदमी पर बहुत सा काम लाद दिया जाता है तो उसमें एफीशियेंसी नहीं आ सकती और उसका नतीजा यह होता है कि ऐसे गलत सलत बिल आ जाते हैं। एक अपराधों का प्रशमन विधेयक लाया गया था। गवनमेंट आफ इंडिया ने एक मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट ऐसा पास कर दिया कि जिससे यू० पी० की सरकार ने कुछ ताकत ली जिनसे गवर्नमेंट आफ इंडिया का ऐक्ट रिडंडेंट हो गया। बाद को यह गलती मालूम हुई। तो ऐसी भयंकर भूलें हो जाया करती हैं। इसी सेल्स टैक्स बिल में आप देखेंगे कि सरकार की तरफ से स्वीकार किया गया है और फैसले में भी कहा गया है, यह मेरी बदकिस्मती रही कि इंटरवेल में भी मैं उस फैसले को न पा सका। मेरिट पर तो डिटेल में जा नहीं सकता क्योंकि उसको स्टडी करने का मौका हमें नहीं मिला, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिस दिन गवर्नर साहब को नोटिफिकेशन ईश्यू करने की ताकत थी, उस दिन नोटिफिकेशन ईश्यू नहीं हुआ। जैसे ३१ मार्च को नोटिफिकेशन ईश्यू हुआ मगर १ अप्रैल को उस ऐक्ट की धारा के अनुसार नोटिफिकेशन ईश्यू करने की ताकत मिली, लेकिन ठीक मौके पर नोटिफिकेशन नहीं हुआ जिसका नतीजा यह हुआ कि हाईकोर्ट ने उसको नाजायज करार दिया।

मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि इतनी जल्दी में लीगल एक्सपर्ट्स की ओपीनियन सरकार क्यों लेती है जिसका यह नतीजा होता है। मैं मानता हूं ला के अन्दर रिजिडिटी की बात तो है नहीं कि सब की एक ही राय हो। मुख्तलिफ रायें हुआ करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कोई अपील की जावे तो हमारी सरकार का यह स्टैंड है कि उसके लिये आगे जाने की जरूरत नहीं है। माननीय मंत्री जी की तरफ से इस संबंध में यह तर्क पेश किया गया है कि सरकार की यह मजबूरी है कि अगर अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो वहां वर्षों लग जायेंगे और इस तरह से साढ़े ४ करोड़ पुराना बकाया जो लोगों से सेल्स टैक्स का पावना है वह बट्टेखाते में चला जायगा और उसके बाद साढ़े ४ करोड़ रुपया जो और इस साल का लेना है वह भी गड़बड़ होगा। वह सब मिला कर ८,९ करोड़ रुपया होता है। इस तरह से उन लोगों की तकदीर से इतनी बड़ी रकम का फैसला हुआ। फिर इतनी जल्दी में इस बिल को लाकर पास कराया जा रहा है। इसके साथ एक और बिल था। ऐसे तो इस पर परसों ही डिस्कशन होने जा रहा था और इसको सदन में पास करा लिया जाता, लेकिन इसका नतीजा वही होता जो पहले हो चुका है कि हाईकोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया।

श्रीमन्, ओरिजिनल को देखने से मालूम होता है कि एक बार नोटिफिकेशन में गलती हुई उसको वैलिडेट किया गया, फिर दुबारा गलती हुई जिसे वैलिडेट किया गया, फिर तीसरी बार गलती हुई। जब हम कोई बात कहते हैं तो कहा जाता है कि ये सब वाहियात बातें हैं, लेकिन श्रीमन्, देखें कि हाईकोर्ट इनकी अक्लमन्दी के लिये क्या कहता है। एक बार सन् ५५ में नोटीफिकेशन इनवैलिडेट किया गया, फिर ५६ में वैलिडेट किया गया, फिर ५७ में वैलिडेट किया और भगवान न करे कि जो चीज आप आज करने जा रहे हैं, उसकी

भी हालत कल वही हो जाय। फिर आप कहें कि १० करोड़ तो पुराना रुपया है और ५ करोड़ नया रुपया है इस तरह से केवल १५ करोड़ की एक छोटी सी रकम के लिये यह अमेंडिंग बिल आया है।

श्री उपाध्यक्ष--सारी बातें आप अनुमान ही कर रहे हैं। क्या गलती है जिसके सुधार के लिये आप चाहते हैं कि उसे गवर्नमेंट मंजूर कर ले? कुछ सुझाव भी दें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--श्रीमन्, हम लगातार तीन दिन से कोशिश कर रहे हैं कि हमको लिटरेचर संबंधित बिल के दिये जायं, लेकिन हमको वह मुहय्या नहीं किया गया और इस तरह से बहस के लिये तीन दिन का भी टाइम नहीं दिया जाता कि हम इसको ठीक से स्टडी भी कर सकें और हम अपनी नाचीज रायें उनके पेशे नजर कर सकें। हमसे कुछ कंट्रीब्यूशन करने को तो कहा जाता है, लेकिन उसके लिये मौका नहीं दिया जाता। खैर, उसका लेजिस्लेशन हम आगे करें, लेकिन मैं श्रीमन् के द्वारा अर्ज करता हूं कि इस तरह के जो संशोधन होते हैं उनसे बड़ा नुकसान होता है और इस तरह का हेस्टी लेजिस्लेशन करने से तो सरकारी पैसे का भी दुरुपयोग ही होता है। सरकार ने अपना टैक्स किस चीज पर नहीं लगाया, यह तो सेल टैक्स की बात है। परचेज टैक्स लग गया, गांव सभाओं के टैक्सेज अलग लगे, एन्टरटेनमेंट टैक्स लगा है, वह तो अच्छा जरूर है, उसको हम पसन्द करते हैं, एक्सपेंडिचर का टैक्स लगा है और दो चार टैक्स लगे हैं। इस समय नाम याद नहीं आ रहा है इन्कम टैक्स है, सुपर टैक्स है। खैर, उनसे कोई मतलब हमारा नहीं है। एक टैक्सों के एक्सपर्ट इस विषय के इंग्लैंड से यहां आये थे उनका कहना था कि करीब १०० करोड़ रुपए का टैक्स एवेजन यहां भारत में होता है। यह होता इस लिये है कि इनकम टैक्स लगता है तो उसके लिये आय के रिटर्न्स मांगे जाते हैं। अगर ऐसा न कर के यह किया जाय कि बताओ तुम्हारी वर्तमान प्रापर्टी कितनी है और अगले साल आय कितनी हुयी, घट गई या बढ़ गई? इससे बड़े बड़े टैक्सेज जो आजकल इवेड होते हैं। १०० करोड़ की कितनी बड़ी रकम है जिसका नुकसान होता है, लेकिन आज सरकार की वह हिम्मत नहीं है क्योंकि डर रहता है कि जिन जिन लोगों की प्रापर्टी आज ढकी रहती है वह खुल जायगी। यह चीजें इस तरह के हेस्टी लेजिस्लेशन से या पर्चेज टैक्स लगाने से ठीक होने वाली नहीं हैं।

मान लीजिये कि एक मिट्टी के तेल का व्यापारी है वह तेल ४ गैलन बेचता है। अब आपने उसके टीन पर बारदाने पर भी टैक्स लगा दिया है वह तेल पहले ही बेच चुका था। अब उसको पता नहीं कि उसने किसके हाथ बेचा है। आप ने उस पर टैक्स लगा दिया। अब वह किससे वसूल करेगा? दूसरी रूलिंग में हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में आब्जरवेशन दिये हैं, वह मैं बताता हूं कि :-

"as the Act stood prior to its amendment by U. P. Act XIX of 1956 non-registered dealers, if their turnover exceeded the prescribed limit, could not realise the tax, as such, from their customers but were bound to pay it to the Government."

इस तरह की दिक्कतें हैं कि सरकार तो उस बेचारे से ले लेगी, लेकिन उसके पास टैक्स वसूल करने का कोई जरिया नहीं। इस तरह की जो खामियां हैं और जिनके दूर होने की जरूरत है, ऐसे मामले को गवर्नमेंट को अपनी प्रेस्टिज का सवाल नहीं बनाना चाहिये और जब गवर्नमेंट देख चुकी है कि वह सेवरल अटेम्प्ट्स में फेल हो चुकी है तो उसे जिद नहीं करनी चाहिए।

जहां तक माननीय मंत्री जी ने अपील न करने की बात कही, मैं यह अर्ज करूंगा कि गरीब व्यापारी के रिसोर्सेज गवर्नमेंट के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके लिये आप ला को अमेंड नहीं करते और कहा जाता है कि हम अपने यहां सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी ला रहे हैं। इन कानूनों के बावजूद हाईकोर्ट की मंशा क्या रहती है? वह तो केवल इन्टरप्रेट

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

कर देते हैं। जो लेजिस्लेशन का मंशा होता है उसे बता देते हैं, लेकिन जो एक फैसला हाई कोर्ट का हो जाय वह मान्य होना चाहिये। फिर हम उसे, हाईकोर्ट के फैसले को ओवरराइड करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं तुम फैसला कुछ भी करो, अपनी बात हम तुमको मनवा के रहेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं समझता हूं हाउस में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर कार्यवाही पुनः जारी हुई।)

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—श्रीमन, मैं अर्ज कर रहा था कि हाईकोर्ट का फैसला एक बार हुआ। उसको रद्द करने के लिए हम दूसरा अमेंडमेंट लाये। फिर हमारे अमेंडमेंट को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। उसके बाद हम कहते हैं कि उसको भी हम रद्द करेंगे। इसके और जो कुछ भी माने हों, लेकिन जनसाधारण में जो कि कानूनी बारीकियों में नहीं जा सकते उनमें यह भावना घर करने लगी है कि हम लोग अपने हाईकोर्ट के फैसलों की इज्जत नहीं करते। हम यह चाहते हैं कि हाईकोर्ट के जजेज अपना इंटरप्रिटेशन चाहे कुछ करें, लेकिन हम उनको अपनी बात मनवा कर रहेंगे। तो इससे एक अच्छा वातावरण पैदा नहीं होता: इस तरीके से अमेंडमेंट पर अमेंडमेंट लाने के बजाय मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा फिर बड़े विनम्र शब्दों में दरख्वास्त करूंगा कि एक अच्छा आदर्श रखने के लिये और एक पूरा ला लाने के लिये यह कष्ट करें कि हेस्टी लेजिस्लेशन न करके अच्छे तरीके से बैठकर के इस पर पूरी तरह से विचार करने के लिये इसको एक सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दें।

***श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय बिष्ट जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके सम्बन्ध में कुछ बातें कहने के पहले मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि श्रीमान् अध्यक्ष द्वारा कुछ कमेटियां मुकर्रर हैं जिनमें डेलीगटेड लेजिस्लेशन की भी एक कमेटी है। मुझे आश्चर्य है, मैं नहीं जान पाया कि उसके होते हुए भी कार्यवाहियां किस प्रकार से चल रही हैं। माननीय मित्तल जी उसके चेयरमैन हैं, बड़े योग्य व्यक्ति हैं, वह दिखाई नहीं पड़ रहे हैं ...

श्री उपाध्यक्ष—यह किस विषय पर आप कहना चाहते हैं?

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह विधेयक जो लाया गया वह डेलीगटेड पावर्स के संबंध में हाईकोर्ट ने कुछ रूलिंग्स दी और उसके बाद उसको दुरुस्त करने के लिये यह बिल पेश किया गया। मैं इसकी ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की कमेटी मुकरर होते हुए भी उसकी निगाह में इन चीजों का न पड़ना और बहुत सी इस तरह की बातों का हाईकोर्ट के द्वारा इंगित किया जाना, यह कुछ समझ में नहीं आता। हाउस में बार बार यह पुनरावृत्ति की जाती है और इससे न केवल अपने प्रदेश की सरकार का बहुत सा धन व्यय होता है बल्कि विधायकों का भी समय बरबाद होता है और इसीलिये यह डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की कमेटी मुकर्रर हुई है। मैं नहीं जान पाया कि उनका ध्यान इस ओर क्यों आकृष्ट नहीं हो पाया है।

मैं इस बिल की मुख्य धाराओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यद्यपि यह कुछ चन्द हाईकोर्ट की रूलिंग्स के कारण, उनकी दुरुस्ती के लिये कहा गया और माननीय माल मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कर के यह बतलाया था कि किस प्रकार ३१ मार्च की विज्ञप्ति १ अप्रैल को न होने के कारण हाईकोर्ट ने उलट पलट कर दिया। यह तो मैं उनके विभाग के कानूनी दिमाग और हाईकोर्ट की रूलिंग में जो तोड़ फोड़ चल रही है, उनकी प्रशंसा बगैर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किये यह चाहूंगा कि वह अपने मस्तिष्क को ठीक करें। मैं इस बिक्री-कर की अनेक धाराओं की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बिक्री-कर जब से लगा हुआ है तब से यह कुछ विशेष वर्ग को बड़ा कष्टदायक हुआ है। विशेष तौर से उन व्यापारियों की मांगों पर जो अन्न के सम्बन्ध में.....

श्री उपाध्यक्ष—यह विषय यहां नहीं लाया जा सकता। जो उपस्थित विधेयक है उसी पर बोलें। सारे बिक्री-कर के बारे कहने का यह अवसर नहीं है।

एक सदस्य—सदन में कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—बिना गिने न कह दिया करें कि कोरम नहीं है। ठीक है, कोरम है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—इस संशोधन के अन्तर्गत ही आपका ध्यान आकर्षित करता हूं जिसमें कहा गया है कि यह बिल प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे परिधि बढ़ाने का अधिकार हो।

इस बिक्री-कर द्वारा जब से अन्न पर कुछ कर लगाया गया और इसके लिये कानपुर की मंडी ने निरंतर विरोध किया और आज तक कई साल से प्रति माह की पहली तारीख को वह हड़ताल कर रही है। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने बारबार हर प्रकार से कोशिश की....

श्री चरणसिंह—प्वाइंट आफ आर्डर, अभी आपने जिस बात की ओर माननीय मित्र का ध्यान आकर्षित किया था कि सेल्स टैक्स के औचित्य पर और उससे जो लोगों को कठिनाइयां वगैरह हैं उसकी बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी माननीय सदस्य वही बात कर रहे हैं। इस बिना पर कि परिधि बढ़ा दी जाय उसके मातहत हर चीज को कहना, इसके मुताल्लिक मेरा निवेदन यह है कि परिधि बढ़ा दी जाय उसकी मंशा केवल इतनी हो सकती है कि जिस सेक्शन को हम अमेंड कर रहे हैं या वेलीडेट कर रहे हैं उसके सिलसिले में उससे जो कनेक्टेड मैटर्स हों, जो उससे जरमेन हों कानूनी वगैरह, वही बातें आ सकती हैं न कि एन्टायर बिल, न कि एन्टायर लेजिस्लेशन और पालिसी और अगर परिधि बढ़ाने का यह मतलब है जो माननीय मित्र लगा रहे हैं तो फिर रूल्स का दुरुपयोग हो जायगा। रूल्स में जो इजाजत है कि ऐसा मोशन आ सकता है कि प्रवर समिति को भेज दिया जाय और उसकी परिधि बढ़ा दी जाय उसका मंशा कदापि यह हो ही नहीं सकता कि जिन चीजों का उस बिल से संबंध नहीं है वह सब चीजें आ जायं। इस वक्त बहुत फिट सब्जेक्ट है आपकी रूलिंग के लिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं माननीय मंत्री जी को कुछ उत्तर देना चाहता हूं, अगर आपकी आज्ञा हो।

मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा ठीक इसके पहले, यानी जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल पर उन्होंने इसी प्रकार का प्वाइंट आफ आर्डर उठाया था और माननीय अध्यक्ष महोदय ने उसके संबंध में रूलिंग भी दी और यह बताया कि किसी भी विधेयक की बहस पर जिसके संबंध में संशोधन उपस्थित किया जा चुका है और प्रवर समिति के लिये जिसमें परिधि बढ़ाने की बात हो उस समय कोई भी सदस्य उससे सम्बन्धित एक, दो बात कह सकता है और कई माननीय सदस्यों ने जैसे माननीय गेंदासिंह जी आदि ने उनका उल्लेख करते हुए कहा भी। अतः फिर इस प्रकार का आक्षेप मंत्री जी द्वारा किया जाना कि इस बिल पर कुछ नहीं कह सकते, मैं समझता हूं ठीक नहीं है और इस आपत्ति को रिजेक्ट कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मंत्री जी ने जिस बात की तरफ ध्यान दिलाया, असल में जो बात माननीय अध्यक्ष ने प्रातःकाल कही उससे उसी का समर्थन होता है। माननीय अध्यक्ष ने भी यही कहा कि सरसरी तौर पर, इशारे के तौर पर दो एक बातें बतलाई जा

[श्री उपाध्यक्ष]

सकती हैं, लेकिन सारे सेल्स टैक्स ऐक्ट के ऊपर, क्या-क्या खराबियां हैं, क्या-क्या सुधार किये जा सकते हैं, इस पर बहस नहीं की जा सकती। इसी परिधि को ध्यान में रखकर कुछ संकेत किया जा सकता है, लेकिन व्यापक तौर से पुराने सेल्स टैक्स ऐक्ट में क्या-क्या खामियां हैं उन पर बहस करने की मैं इजाजत नहीं दे सकता।

श्री मोतीलाल अवस्थी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं उस पूरे बिल पर आलोचना करूं और न इस वक्त बिक्री-कर ऐक्ट मेरे हाथ में ही है। जो कुछ सारांश रूप में बातें जनता को अपील करती हैं उन्हें कहने का मुझे हक हो गया है और आशा है कि मुझे कहने की आज्ञा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष--संशोधित धाराओं से संबंधित जो कुछ बात हो उसे आप कह सकते हैं। व्यवस्था शिरोधार्य है इतना कह कर फिर आप वही बात शुरू कर दें तो बड़ी कठिनाई होगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी--जिस प्रकार माननीय विष्ट जी ने कहा है उसी प्रकार मुझे भी कहने का अवसर मिलेगा। अगर हर एक सदस्य को इस प्रकार से चाहा जाय कि वह चन्द शब्द कहे और आगे न बढ़े, अपने भावों को प्रकट न कर सके तो फिर बड़ी मुश्किल हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष--परिधि के अन्दर कहिये और दो घंटे भाषण कीजिये, मुझे कोई एतराज नहीं होगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मूल तात्पर्य माननीय मंत्री जी का यही है कि कुछ लैलिग होने के कारण उन्हें इस अधिनियम के लागू करने में दिक्कत हुयी और उसे रिट्रास्पेक्टिव अफेक्ट से वे लागू करना चाहते हैं। मैं इस मामले को रोकने की इच्छा नहीं रखता, लेकिन धारा ३ में रिव्यू कराने का अधिकार दिया जा रहा है, कुछ टाइम के अन्दर। टाइम बार होने के बाद फिर रिव्यू की आज्ञा हाईकोर्ट की आज्ञा को कैसे कर्टेल कर सकेगी? लिहाजा आप जब यह बिल लाये हैं तो जनता का ध्यान इस बिक्री-कर की मूल त्रुटियों की तरफ चला जाता है। विष्ट जी के प्रस्ताव के मुताबिक अगर यह बिल प्रवर समिति के सुपुर्द होगा तो वहां फिर उन कठिनाइयों को दूर करने का अवसर मिल सकेगा। लिहाजा इसे वहां भेजा जाय ताकि उन तमाम बातों पर पुनः सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा सके जो जनता से सम्बन्धित हैं।

***श्री उबैदुर्रहमान** (जिला बस्ती)--श्रीमन्, यह बिल जो हाउस के सामने लाया गया है इसके जरिये एक बहुत मुख्तसर सा सवाल हाउस के सामने उठ खड़ा होता है और वह यह कि जो कानून सन् १९४८ में पास किया गया था उसमें कुछ नुक्स रह गया था, कुछ लोगल पत्राज रह गये थे। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपनी ओपनिंग स्पीच में बतलाया कि गवर्नर साहब को पावर्स तो दे दी गयीं, लेकिन उन पावर्स को देने में एक दिन का फर्क पड़ गया। नोटिफिकेशन ईश्यू हो गया ३१ मार्च, सन् १९५६ को और वह सेक्शन जिसमें पावर्स दी गयीं उसका नोटिफिकेशन १ अप्रैल को हुआ। यह उसमें डिफेक्ट रह गया। इस डिफेक्ट को दूर करने के लिये एक अमेंडमेंट ऐक्ट लाया गया। उस अमेंडमेंट ऐक्ट के लाने के बाद सवाल यह उठा कि पावर्स तो दे दी गयीं रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट की, लेकिन उस नोटिफिकेशन को जो आलरेडी ईश्यू हो चुका था "इन दी एक्सरसाइज आफ दैट पावर" उसको वैलिडेट नहीं किया गया। चुनांचे हाईकोर्ट ने इस बेसिस के ऊपर यह फैसला कर दिया कि वह सेक्शन जिसको रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट दिया गया है और जिसके जरिये से पावर्स दी गयीं गवर्नर को, वह अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन वह नोटिफिकेशन की गलती अब भी रह गयी। लिहाजा उन्होंने यह होल्ड कर दिया कि यह नोटिफिकेशन फिर भी इनवैलिड है। अब उसके बाद यह जरूरत पैदा हुई कि हम उस नोटिफिकेशन को वैलिडेट करें और उसको वैलिडेट करने के लिये यह बिल लाया गया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब हाउस के सामने यह सवाल है कि जो फ्ला रह गया था उसको हम किस तरीके पर रिमूव कर सकते हैं । बस, सिर्फ इतना सा सवाल हैं । अब उसमें सेल्स टैक्स क्यों लाया गया और उसके मातहत जो पालिसी है वह अच्छी है या बुरी यह जो बहसें की जा रही हैं अपोजीशन की तरफ से, मेरे खयाल में वाकई जरमेन तो नहीं मालूम होती हैं । हां, अगर उस पर कोई इम्प्रूवमेंट बतलाया जाता तो बात दूसरी थी । यह महज एक टेक्निकल मैटर सा है और उस फ्ला को निकालने की गरज से यह शक्ल निकाली गयी है । अगर अपोजीशन की तरफ से यह बताया जाता कि इसको वैलिड करने का यह अच्छा तरीका है तो उसको देखा जाता, लेकिन कोई ऐसी चीज और बेहतर तरीका न रख करके महज इसलिये कि अपोजीशन में हैं और अपोज करेंगे तो मेरे खयाल से यह अच्छी स्पिरिट नहीं मालूम होती है ।

बिल मुख्तसिर सा है । यह सही है कि ४ करोड़ या ९ करोड़ का नुकसान होता है सुप्रीम कोर्ट में जाने से । कानून की रू से दो रायें हैं । एक तो यह कि जो हमने अमेंडमेंट १९५६ में किया था वह अपनी जगह पर दुरुस्त था और जो गवर्नर को पावर्स रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट की दी गयीं तो उसके तहत में जो काम किया गया, या नोटिफिकेशन किया गया वह वैलिड माने जायंगे, लेकिन जैसा कि मंत्री जी ने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट में जायं और महीनों लगें, वर्षों लगें और मालूम नहीं उस वक्त तक पुल के नीचे से कितना पानी बह चुका होगा तो इस चीज को आबविएट करने के लिये यह एक सहल तरीका सोचा गया कि इस अमेंडिंग बिल को हाउस के सामने रखा जाय और उसे ऐक्ट की शक्ल दे दी जाय ताकि वह डिफिकल्टीज रिमूव हो जायं ।

लिहाजा मैं इस अमेंडिंग बिल की ताईद करूंगा ।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं और साथ ही साथ जो इसको प्रवर समिति में भेजे जाने या इसकी परिधि बढ़ाने के संशोधन हैं उनका भी विरोध करता हूं क्योंकि मेरे विचार से प्रवर समिति में भेजने या परिधि बढ़ाने, इन दोनों संशोधनों का अर्थ यह होगा कि हम इस विधेयक के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं । मैं इस विधेयक के द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धान्त है उसका समर्थन करना भी उचित नहीं समझता । इस विधेयक की मंशा यह है कि यू० पी० सेल्स टैक्स ऐक्ट (संशोधन) विधेयक, १९५७ की जिस धारा ३ (ए) के अनुसार यू० पी० सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९५६ और यू० पी० सेल्स टैक्स आर्डिनेंस, १९५६ के द्वारा मार्च ३१, १९५६ के नोटिफिकेशन को वैलिड और अधिकृत माना जाय । मेरे विचार से जो वर्तमान प्रणाली माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनाई है वह भी गलत है । मैं शुरू में ही, श्रीमन्, यह स्पष्ट कर दूं कि आज जो हमारे नये माननीय वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा यह पाइलट किया जाने वाला प्रथम विधेयक है एज फाइनेन्स मिनिस्टर ।

जहां तक हमारा सवाल है, हमें यह आशाएं हैं कि उन्होंने वित्त विभाग संभाला है तो जो अब तक खामियां हैं वह उनको दूर कर सकेंगे और वास्तव में हमारे प्रदेश का जो फाइनेन्शियल पैटर्न है, जो ढांचा है वह कुछ ज्यादा इगैलिटेरियन, अधिक समानता लाने वाला एक आर्थिक ढांचा हो सकेगा, लेकिन मुझे यह दुःख होता है कि आज पहली ही बार जो विधेयक उनको यहां पर पारित कराने हेतु सौंपा गया वह एक ऐसा विधेयक है जिसके द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रतिगामी कदम उठता हुआ प्रतीत होता है ।

श्री उपाध्यक्ष—इर्रेगुलरिटीज तो दूर हो रही हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—वही इर्रेगुलरिटीज दूर हो रही हैं जो इस सदन के द्वारा करवायी गयी हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, कोरम की कमी हो रही है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—मुझको भी आप लोग गिन लिया करें । कभी-कभी गलतफहमी हो जाती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं यह कह रहा था कि जिस नोटिफिकेशन को अधिकृत करने के लिये यह तीसरा विधेयक लाया जा रहा है वह दोनों विधेयक इसी सदन के द्वारा पारित किये गये थे और उनको अधिनियम का स्वरूप बाद को दिया गया था । श्रीमन्, आपको याद होगा, उस समय आप हमारे पक्ष को सुशोभित करते थे और आपने भी उस सम्बन्ध में अपनी राय व्यक्त की थी । जब आर्डिनेन्स पर यहां विवाद प्रस्तुत हुआ था तब हमने कह दिया था कि आपका यह आर्डिनेन्स और इसके द्वारा निकाला जाने वाला नोटिफिकेशन इनवैलिड है । उस समय सरकार ने अपने बहुमत के आधार पर हमारी राय को नहीं माना । उसके बाद जब अधिनियम पर वाद विवाद हुआ सन् ५६ में उस समय भी हमारी ओर से कहा गया कि यह आप गैरकानूनी कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने हमारी सलाह को नहीं माना । फिर सन् ५७ में जब सरकार द्वारा उस हाईकोर्ट के फैसले को मानते हुये दोबारा अमेंडमेंट लाया गया उस समय भी हमने कहा कि यह आपकी कार्यवाही अवैधानिक है और हाईकोर्ट में फिर यह नहीं टिकेगी, लेकिन सरकार ने नहीं माना । आज यह तीसरा मौका फिर है जब सरकार अपनी गलतियों को दुरुस्त करने आयी है । इसमें पहली बात तो यह है जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि दो रायें हो सकती हैं, तो मेरी अपनी क्षुद्र राय के अनुसार अब भी आप उसे वैलिडेट नहीं कर रहे हैं ।

श्री चरणसिंह—अब क्या होना चाहिये ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—कारण यह है कि सन् ५७ में जो हमने विधेयक पास किया था वह यू० पी० सेल्स टैक्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट था, जो नोटिफिकेशन निकला वह भी यू० पी० सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९४८ के संशोधित अधिनियम के मातहत निकला, लेकिन अब जो यह विधेयक लाया जा रहा है यह एक नया विधेयक है, यह यू० पी० सेल्स टैक्स ऐक्ट में संशोधन नहीं है । एक नये ऐक्ट के द्वारा किसी चलते हुये अधिनियम की किसी धारा को संशोधित मान लिया जाय, मैं समझता हूं इसके लिये इस सदन को भी तैयार नहीं होना चाहिये और मुझे शंका होती है कि शायद हाईकोर्ट भी इसे स्वीकार नहीं करेगा । इसके लिये सरकार को यू० पी० सेल्स टैक्स ऐक्ट में संशोधन लाना चाहिये था, एक नया अलग से विधेयक नहीं लाना चाहिये था । यह एडवोकेट जनरल और लीगल रिमेम्बेन्सर की राय हो सकती है और माननीय वित्त मंत्री जी की अपनी राय है या नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह जो तरीका वैलिडेट करने का अख्तियार किया गया है यह भी उचित नहीं है ।

दूसरी बात यह है कि हाईकोर्ट के जजमेंट को पढ़ने से भी यही प्रतीत होता है कि उसने भी यही प्रश्न उठाया था कि इस सेक्शन के द्वारा जो नोटिफिकेशन है वह वैलिडेट नहीं किया गया । मेरे पास जजमेंट की कापी है, मैं उसके पेज ४ पर जो आब्जर्वेशन है उसको पढ़ देना चाहता हूं—

"Why such a provision was not inserted in the Act is difficult to understand, for examples of such validating provisions are to be found in the U.P. Sales Tax(Amendment) Act,1952(6) s. 8 and more recently in the U.P Panchayat Raj (Amendment) Act, 1957, (7) s. 6. In our opinion the absence of such a provision is fatal to the validity of the impugned notification."

यानी १९५७ के ऐक्ट में कोई प्रावीजन क्यों नहीं लाया गया जिसके द्वारा जो हाईकोर्ट ने इन्वैलिड करार दिया था उसको वैलिडेट करते ? जब तक इसका प्राविजन नहीं होता तब तक यह वैलिड नहीं माना जायगा । हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है और इस ऐक्ट का अमेंडमेंट आज नहीं हो रहा है बल्कि यह तो एक नया ऐक्ट है ।

मैं तीसरी बात की ओर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । वह यह है कि जो आर्गुमेंट मिस्टर पाठक ने हाईकोर्ट के सामने किया था, उस पर हाई-

कोर्ट ने अभी कोई निर्णय नहीं दिया है और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर फिर मामला हाईकोर्ट में गया तो वहां से फिर हमारे विपरीत भी होने वाला है । इसमें स्पष्ट लिखा है कि:—

"Mr. Pathak has contended that the impugned notification is dead for all purposes and for all times. On this question (which does not in the circumstances directly arise) we prefer to reserve our opinion."

श्रीमन्, वह नोटिफिकेशन जो ३१ मार्च, १९५६ को जारी हुआ था चाहे वह ५–६ हों या एक हों, उनको नोटिफाई करने की ताकत उस समय राजकीय सरकार को नहीं थी क्या किसी दूसरे ऐक्ट द्वारा उसको वैलीडेट किया जा सकता है उस धारा के मातहत जिसमें शक्ति नहीं थी ? यह एक बुनियादी सवाल है जिसका उत्तर इस विधेयक द्वारा नहीं दिया गया है ।

मेरे विचार से मंशा यह मालूम होती है कि हाईकोर्ट नहीं चाहता है कि इस प्रकार अवैधानिक रूप से हम इस नोटिफिकेशन को वैलीडेट करें । आखिर क्या कारण है ? मुझे तो हाईकोर्ट का यह निश्चित मत मालूम पड़ता है कि सरकार ने जो यह एक आध अधिनियम पारित किये वह प्रणाली हाईकोर्ट के विचार से गलत थी और सरकार को तथा उसकी विधायक शक्ति को इसका दंड भुगतना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि सरकार को दंड भुगतने के लिये तैयार रहना चाहिये ।

श्रीमन्, मुझे अत्यंत दुख है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने सरकार की इस भूल को स्वीकार नहीं किया है और उनका कहना है कि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिये तैयार थे । पता नहीं, क्यों नहीं की ? श्रीमन्, मैं तो यह कहूंगा कि वह इस बिल को वापस ले लें और सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील करें तो यह ज्यादा अच्छा तरीका होगा बजाय इसके कि तीसरी बार इस चीज को करें और फिर हाईकोर्ट से इन्वैलिड हो । हाईकोर्ट ने जो दो तीन जगह कोटेशन्स दिये हैं उनसे स्पष्ट होता है कि हाईकोर्ट उस पावर को जो अनरियल थी आज रियल बनाने के लिये तैयार नहीं है ।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो नोटिफिकेशन्स हैं उनको दो हिस्सों में बांट दिया जाय । कम से कम जो खाद्यान्नों से संबंधित नोटिफिकेशन है, खाद्यान्नों पर मल्टीपिल प्वाइंट टैक्स लगाने का, उसे वैलीडियेट करने की कोशिश नहीं करना चाहिये । मैं इसका आमूल विरोध करता हूं । हां, जो लक्जरी गुड्स हैं, उनके संबंध में मुझे कोई विरोध नहीं है । ६ नोटिफिकेशन्स हैं । एक तो फूड ग्रेन्स पर मल्टीपिल प्वाइंट टैक्स लगाने का है । दूसरा नमक पर टैक्स लगाने का है । तीसरा नोटिफिकेशन कपड़े पर दूना टैक्स करने के संबंध में है । चौथा और पांचवां रेडियो तथा साइकिल वगैरह यानी लक्जरी गुड्स पर टैक्स लगाने के संबंध में है । मैं पहले दो नोटिफिकेशन्स को वैलीडेट करने के विरोध में हूं । हां, रेडियो वगैरह जैसी चीजों पर टैक्स लगाने के सवाल का समर्थन किया जा सकता है । इसलिये मैं तो माननीय मंत्री जी को यह सलाह दूंगा कि आज वह इस विधेयक को वापस लें और केवल उन दोनों नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुये जो कि लक्जरी गुड्स पर सेल्स टैक्स लगाने के सम्बन्ध में हैं, उनके सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट में अपील करें तो यह जनतान्त्रिक और प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था को कायम रखने वाला कदम होगा ।

(इस समय श्री उदय शंकर खड़े हुये और श्री उपाध्यक्ष ने उनको बोलने के लिये कहा किन्तु वे बैठ गये ।)

श्री उपाध्यक्ष—सदन में यह बात मुझे पसंद नहीं आती है कि एक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े होने पर किसी माननीय मंत्री के कहने पर अपना बोलने का विचार त्याग दें । मैं समझता हूं ऐसा नहीं होना चाहिये ।

श्री चरणसिंह—मैंने यह नहीं कहा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, इस तरह से तो हाउस की कन्टेम्प्ट होती है कि यदि एक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हों और वह किसी मंत्री महोदय के कहने पर बैठ जायें ।

श्री चरण सिंह—मैंने तो उस तरफ देखा तक नहीं और न मैंने एक लफ्ज ही कहा ।

श्री उपाध्यक्ष—आपने नहीं कहा, लेकिन मुझे कुछ ऐसा ही मालूम हुआ था ।

***श्री उदयशंकर** (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो आज सदन के सामने उपस्थित है, एक वैलिडेटिंग ऐक्ट है । वैलिडेटिंग ऐक्ट की तरह यह उपस्थित किया गया है । किसी भी लेजिस्लेचर को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह किसी ऐक्ट में अमेंडमेंट करे, किसी ऐक्ट को रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट के साथ लागू करे या किसी पुराने काम को, जो उसके मुताबिक अभी तक इन्वैलिड है, उनको वैलिड करे । इसके लिये लेजिस्लेचर को पूरा अधिकार संविधान के भीतर है । इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुये आज इस बिल के भीतर यह चेष्टा की जा रही है कि कुछ नोटिफिकेशन्स जो सेल्स टैक्स ऐक्ट के अधीन जारी किये गये थे और जिन्हें कुछ गलतियों की वजह से हाईकोर्ट ने ऐक्ट के विरुद्ध माना था जिस अधिकार सीमा के भीतर उनको जारी होना चाहिये था उस अधिकार सीमा के भीतर वह नहीं आते हुये माने गये और आज तक जब से वह जारी किये गये तब से लेकर इस समय के भीतर उन ऐक्ट्स के अन्तर्गत बहुत से काम हो चुके हैं, उनको जायज न माने जाने की वजह से बहुत सी दिक्कतें सामने आ जायंगी जिनकी वजह से सरकार का काफी नुकसान हो जायगा । सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जितना समय लगेगा उस दौरान में इस कानून के मुताबिक जो कार्यवाही होनी चाहिये वह सस्पेन्ड रहेगी जिन्हें यह सदन पास कर चुका है, उसके दरमियान में बहुत सारी कार्यवाही रद्द करना पड़ेगी या मुल्तवी करनी पड़ेगी । इन दिक्कतों को देखते हुये यह कोशिश की जा रही है इस बिल के जरिये से कि उन सब कार्यवाहियों को वैलिडेट किया जाय । तो फिर समझ में नहीं आता कि कौन सी वैधानिक गलती है । कहा यह गया कि कहीं ऐसा न हो कि यह बन जाय और जैसे पहले इन वैलिड हुआ था फिर हाईकोर्ट वही व्यू ले और बाद में फिर दिक्कत पैदा हो । मेरी गुजारिश यह है कि अगर उन जजमेंटस को, जिनमें हाईकोर्ट ने इसको इनवैलिड किया है, पढ़ा जाय तो उन्होंने यही माना है कि जो अमेंडिंग ऐक्ट लेजिस्लेचर ने बनाया उसके भीतर जो इंप्यून नोटीफिकेशन्स थे उनको वैलीडेट नहीं किया । यही ग्राउन्ड है कि जिसकी बिना पर यह माना गया कि वह, नोटिफिकेशन्स जो ईश्यू किये गये थे, वह ऐक्ट के खिलाफ हैं । इसलिये जब इस दिक्कत को दूर करने का सवाल पैदा हुआ तो लेजिस्लेचर को पूरा हक है कि वह इस जाबते की कमी को अपने ऐक्ट के जरिये से पूरा कर दे । इस के लिये यह लेजिस्लेचर पूरी ताकत रखता है कि इन नोटिफिकेशन्स में, जिनमें कुछ गलती रह गयी थी और जिनकी वजह से टेक्निकल ग्राउन्ड की बिना पर वह उस ऐक्ट के खिलाफ जाते हैं, उसे वह ठीक कर दें ।

ऐसी सूरत में मैं यह अर्ज करूंगा कि नारायणदत्त जी तथा दूसरे सदस्यों ने जो प्रवर समिति को सुपुर्द करने तथा परिधि बढ़ाने का प्रस्ताव किया है उसका प्वाइंट इसमें पैदा नहीं होता । यहां प्रश्न तो यह है कि कुछ गलती ओवर साइट की वजह से या काम के रश की वजह से हो गई है जिसकी वजह से एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कत जो पैदा हो गई है इस ऐक्ट के लागू करने में, उसको किस तरह से दूर किया जाय और पिछले दो सालों में इसकी बिना पर जो कार्यवाही हुई है वह सारी की सारी वैध करार दी जाय, सिर्फ इतने के लिये ही यह विधेयक है । मैं समझता हूं कि इसके लिये सरकार पूरी तरह से जस्टीफाइड है कि वह इस बिल को लाकर अपनी गलती की दुरुस्ती कर ले ताकि ऐक्ट के भीतर जो कार्यवाही अब तक हुई है वह जायज मानी जाय । यह न तो किसी तरह से जुडिशियल स्फियर को क्रास करती है और न अपनी लेजिस्लेचर के पावर्स के बाहर ही जाती है । मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और यह समझता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेजने का कोई ग्राउन्ड नहीं है और उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हरिजन कल्याण मंत्री के सभा सचिव (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—अब काफी दिनों के लिये हम उठ रहे हैं और माननीय गेंदासिंह जी को न बोलने से निराशा होगी। इसलिये पहले उनको मौका दे दें, बाद में आपका प्रस्ताव ले लूंगा।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शान्ति प्रपन्न जी को सुनने के लिये बहुत घबराहट नहीं होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि बिक्रीकर तो एक ऐसा कानून है कि जिस कानून पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन मैं ज्यादा कहने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं केवल थोड़ी सी बातों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। असल में अभी माननीय उदयशंकर जी जो कुछ फरमा रहे थे, उसमें हमें कोई आपत्ति और संदेह नहीं है और इस सरकार के पास इतनी ताकत है कि वह चाहे तो स्याह को सफेद करे या सफेद को स्याह करे और उसी ताकत को देखते हुए मैं माननीय उदयशंकर जी और इस सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इत्तफाक यह है कि इस सरकार से एक बड़ा भारी पाप हो गया था। उसको अदालत ने, टेक्निकल दृष्टिकोण से ही सही, होने से बचा दिया। अब उस पाप के लिये फिर ताकत लेने की तैयारी करें और उस तरह का काम करें तो जानबूझ कर ऐसा करना उचित नहीं होगा।

सन् १९५६ की अप्रैल से एक नोटीफिकेशन के जरिये से वह पाप करने का अधिकार आपको मिला था। यह पाप करने का अधिकार मिला था कि दिन भर भीख मांग कर एक एक पैसा इकट्ठा करे और शाम को अगर वह किसी दूकान से अनाज खरीदने जाय तो उसको भी बिना एक दो पैसा टैक्स दिये अपना पेट चलाने के लिये अनाज नहीं मिल सकता। अगर वह ठिठुर कर मर रहा है, वह भीख भी मांगता और कोढ़ी भी है, लेकिन अगर उसे कपड़ा खरीदने की जरूरत है तो बिना टैक्स दिये वह कपड़ा भी नहीं खरीद सकता। अब जिनसे वह वसूल हो चुका, वह तो हमारे और आपके नाम को रोयेंगे ही लेकिन जो बच गये या आगे जो बच जायेंगे वे तो अपने को तकदीरमन्द समझेंगे। इसलिये आज इस अधिकार को हम नहीं देना चाहते। इसलिये माननीय उदयशंकर जी और इस सदन से मैं कहना चाहता हूं कि उसको इनवेलीडेट रहने दीजिये। अगर आप उसको वेलीडेट करेंगे तो एक नया डंडा लेकर सरकार सेल्स टैक्स आफिसरों को यह अधिकार देगी कि पिछले वक्त में उससे जो लोग बच गये हैं, उनका वे शिकार करें। इसलिये इस प्रकार का कानून पास करने से और इस तरह के अधिकार लेने से जनता का हित नहीं हो सकता तथा अहित हो सकता है। मैंने यह माना कि अदालत ने यह फैसला टेक्निकल दृष्टिकोण को लेकर किया लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया कि उस टैक्नीकेलिटी में लाखों आदमियों का प्रश्न छिपा हुआ है और उससे लाखों आदमियों का हित होगा। उस हित को देखते हुये मैं समझता हूं कि इसको मञ्जूर नहीं करना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों पहले मैंने अखबारों में पढ़ा, हो सकता है वह राय माननीय वर्तमान वित्त मंत्री के आने के बाद बदल गयी हो, लेकिन मैंने पढ़ा यह कि अनाज पर से टैक्स हटा लिया जायगा। अगर अनाज पर से टैक्स हटा दिया जाना है तो इसी वक्त इस बात की घोषणा क्यों न कर दी जाय। उसमें हमको और इस माननीय सदन को और सारे लोगों को कुछ सोचने में आसानी होगी और यह माननीय सदन माननीय वित्त मंत्री जी का इतना एहसानमन्द हो सकता है कि उसे इतनी खुशी की बात सुनने का मौका मिले कि जिस काम को पिछले दो ढाई वर्षों से चाहे इधर से बैठने वाले हों,. चाहे उधर के बैठने वाले हों, हम समझते हैं कि सभी इस चीज को नापसन्द कर रहे थे और चाहते थे कि अनाज पर किसी हालत में टैक्स नहीं होना चाहिये। कुछ दूसरी चीजों के मुताल्लिक भी राय थी कि उन पर किसी हालत में टैक्स नहीं होना चाहिये, लेकिन और चीजों के बारे में बात अलग रही सिर्फ अनाज के ऊपर तो सरकारी दल के लोगों का यह फैसला है। फैसला क्या उनकी सिफारिश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

है कि अनाज पर से टैक्स हटा दिया जाय। तो यह बात सुनने का मौका क्यों न मिले और सारे प्रदेश के दुखी लोगों पर जो एक एक पैसा, दो दो पैसा पड़ता है, खाने वालों और खरीदने वालों पर जो टैक्स पड़ता है, कम से कम अनाज पर से टैक्स हट जाय तो रेडियो पर भी माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण जा सकता है कि आज अनाज पर से टैक्स हट गया।

श्री चरणसिंह---इसी का लालच आप दे रहे हैं।

श्री गेंदासिंह---मैं लालच क्या दूंगा, यह तो बहुत मामूली बात है, या जानकारी है। हां, दूसरे लोगों को यह बात सुन कर जरूर लालच आ सकती है, तो कम से कम यह बात हो जाय तो बड़ी ही उत्तम बात होगी। अगर यह बात कुछ नहीं होने वाली है, तो आखिर में एक बात मैं कहता हूं, मैं कोई टेक्निकल बहस में नहीं जाता, माननीय वित्त मंत्री जी कम से कम इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि उनके राज्य में जो भीख मांगने वाले होंगे, उन पर कम से कम यह बिक्री-कर नहीं लगेगा। मेहरबानी करके कम से कम इतना तो कह दें। क्योंकि अभावग्रस्त क्षेत्रों में जो आपके फेयर प्राइस शाप्स हैं, उन पर भी यह बिक्री-कर लगता है और इस तरह से नयी दूकानें जो खुलने वाली हैं.....

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आगे क्या टैक्स लगने वाला है और नयी दूकानें कहां खुलने वाली हैं, इन पर विचार नहीं हो सकता। आप इनवैलिडेशन से संबंधित बातों पर ही भाषण करें।

श्री गेंदासिंह---तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिलकुल उसी के भीतर रह कर यह कहना चाहता हूं कि नोटीफिकेशन को वैलिडेट करने का एक नया हथियार सरकार को मिल रहा है जिसके जरिये वह ऐसे लोगों से भी टैक्स वसूल कर सकती है जिनसे टैक्स नहीं लिया जाना चाहिये और जिनको टैक्स से बरी किया जाना चाहिये। मैं चाहता हूं कि नोटिफिकेशन को वैलिडेट करते समय इस बात पर भी विचार कर लिया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि सिर्फ मिनिस्टर साहबान को छोड़ कर इस सदन के सदस्य बहुमत से यही चाहते हैं कि अनाज पर से टैक्स हटा दिया जाय। इसमें सब एकमत हैं। अगर माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा ऐसा करना सम्भव न हो तो मैं इतना जरूर उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि नोटीफिकेशन को वैलिडेट करते समय जो भीख मांगने वाले हैं, जो भूमिहीन हैं, उनका ख्याल अवश्य किया जाय।

श्री चरणसिंह---कितनों को भिखमंगा बनाओगे ?

श्री गेंदासिंह---यह मेरी बदकिस्मती है कि यहां इतने भीख मांगने वाले हैं और जब तक वे यहां बैठे रहेंगे भीख मांगना जारी रहेगा, जब तक वे बाहर तशरीफ नहीं ले जाते, तब तक भीख मांगना बन्द नहीं हो सकता है। वह उन्हीं का कहना है, मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकता, वह कहते हैं कि भीख मांगने वालों की बड़ी भारी समस्या है और सरकार उसको अभी हल नहीं कर सकती, न उनकी गिनती अभी ठीक से सरकार के पास है और न वह अभी उनकी जरूरत को पूरा कर सकती हैं।

मैं नये पद को सुशोभित करते हुये माननीय मंत्री से एक यही आशा करता हूं कि वे कृपा करके भीख मांगने वालों को तो इस कर से मुक्त कर दें और हरिजन भाई जो गरीब हैं, जिन के पास जीविका के साधन नहीं हैं वह अगर कपड़ा या अनाज खरीदने जायं तो उन से यह कर न लिया जाय। यदि माननीय माल मंत्री जी अब वित्त मंत्री भी हैं इस प्रकार की घोषणा करें तो एक आनन्द की लहर प्रदेश में छा जायेगी। इसलिये मैंने बहुत सोच-समझकर इस बिल पर बोलते हुये यह कहा है कि इस तरह की खुश खबरी हमें सुनने को मिलनी चाहिये।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय

श्री उपाध्यक्ष---अब कोई भाषण के लिये खड़ा नहीं हुआ है, इसलिये अब इसकी जरूरत ही नहीं है ।

श्री चरणसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, अपोजीशन बेंचेज से ४ मित्रों ने तकरीरें की हैं इस बिल पर जिनमें से २ तो गायब हैं, एक तो श्री गोविंद सिंह जी और दूसरे श्री नारायणदत्त जी तिवारी, मोती लाल जी अब आ गये हैं वर्ना मैंने अभी उन का नाम भी गायब में ही लिख रखा था । इस समय उनमें से चौथे सज्जन माननीय गेंदा सिंह जी मौजूद हैं लिहाजा उन की आपत्तियों का जवाब देते हुये ही मैं अपनी तकरीर शुरू करूंगा क्योंकि, मुमकिन है कि बीच में ही वह भी उठकर चले जायं । जिन साहब ने प्रस्ताव पेश किया था वह भी चले गये, जिन्होंने उसका समर्थन किया था वह भी मौजूद नहीं हैं, मैं नहीं समझता कि यह सदन का अपमान है या नहीं कि एक आदमी प्रस्ताव करके चला जाय और फिर उसका जवाब सुनने को मौजूद न रहे .....

श्री उपाध्यक्ष---इस सम्बन्ध में मैं बता दूं कि यह सर्वमान्य संसदीय परम्परा है कि जो माननीय सदस्य सदन में प्रस्ताव रखें उनका वह विषय जब तक सदन में समाप्त न हो जाय उन्हें सदन में उपस्थित रहना चाहिये और यदि इस परम्परा का पालन नहीं होता तो यह अनुचित बात है ।

श्री चरणसिंह---मेरे मित्र श्री गेंदासिंह जी ने एक बात कही कि यदि इस बात की घोषणा हो जाय कि कल से टैक्स नहीं लिया जायगा तो वह बड़ी खुशखबरी होगी, बड़ी हमारी वाह-वाह होगी, बड़ा रेडियो पर नाम छपेगा । कौन सी खबर उन की निगाह में खुशखबरी है इसकी परवाह हमारी निगाह में अब नहीं रह गई है क्योंकि जिस खबर को आज वह खुशखबरी कह रहे हैं मुमकिन है कि कल को वह उनकी निगाह में खुशखबरी न रहे और उसी को वह बदखबरी कहने लग जायं और उस वक्त वह कहने लगें कि यह फूड ग्रेन्स से जो टैक्स हटाया है यह तो हमारे कहने से और चीप पापुलेरिटी हासिल करने के लिये हटाया है । अब उनके शब्दों के माने जो डिक्शनरी में लिखे रहते हैं वह नहीं रह गये हैं वह तो अपने मैरिट्स के हिसाब से इन्टरप्रिटेशन किया करते हैं, वह तो कहने लगेंगे कि सरकार बड़ी जालिम है, हमने बड़ा जोर दिया तब यह हुआ, तो हमारे लिये तो वह खुशखबरी नहीं रहेगी, इसलिये खुशखबरी या बदखबरी से इस सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता ।

दूसरे उन्होंने कहा कि अगर यह बिल पास न कराया जाय तो लाखों करोड़ों आदमियों का भला होगा, क्योंकि यह २ साल का जो ४ करोड़ रुपया वसूल होगा उससे लाखों आदमी बच जायेंगे, लेकिन वह जरा यह भी सोचें कि क्या इसका दूसरा पहलू यह नहीं होगा कि अगर यह बड़ी रकम वसूल न की गई तो इस से लाखों और करोड़ों गरीबों का नुकसान भी होगा, फिर मालगुजारी की माफी कहां से होगी ? टेस्ट वर्क्स कहां से चलेंगे ? सबसिडी कहां से दी जायंगी ? जो रुपया आता है उन्हीं लाखों करोड़ों के लिये वह खर्च होता है । केवल एक ही पहलू लिया जाय कि टैक्स न लिया जाय तो लाखों करोड़ों को फायदा होगा तो वह गलत है । दूसरा पहलू भी है कि अगर टैक्स न लिया जाय-तो उससे कई गुना आदमियों को नुकसान होगा ।

तीसरी बात यह है जिस पर बड़ा बल दिया गया कि साहब भिखारियों से भी टैक्स लिया जा रहा है । जो सुबह से शाम तक भीख मांगता है वह अगर गल्ले की दूकान पर जाकर गल्ला खरीदे तो उस गरीब को भी टैक्स देना पड़ता है । अब यह दलील भी ऐसी है कि कोई संगदिल ही हों जो इसका जवाब दें कि यह दलील गलत है, जिस पर असर न हो इसका तो वह पत्थर का दिल रखता है । लेकिन नहीं, पत्थर का दिल रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि थोड़ी सी अक्ल रखने की जरूरत है । वह यह कि ठीक है अगर हम गल्ले का टैक्स न लें तो भिखारी बच जायेंगे । अब भिखारी कानपूर से चलता है लखनऊ के लिये हमारी रोड ट्रांसपोर्ट में । बोलो किराया लें उससे या न लें भीख मांगता है कानपुर में और आ रहा है लखनऊ,

[श्री चरणसिंह]

तो उससे टैक्स लें या न लें। जिस कुठरिया में रहता है भिखारी उसमें वाटर पाइप लगा हुआ है। म्युनिसिपल बोर्ड उससे टैक्स ले या न ले? उस भिखारी की आमदनी इतनी है कि एक रुपया महीना वह शायद दे सकता है बिजली वाले को, तो जो बिजली का उसने बल्ब लगवा लिया है उसका पैसा वह दे या न दे। भिखारी से लिया जा रहा है बिजली का पैसा, भिखारी से लिया जा रहा है किराया, भिखारी से लिया जा रहा है पानी का टैक्स, तो इट एमाउन्ट्स टु रिडक्शियो ऐड ऐबसर्डम (it amounts to reductio-ad-absurdum) यानी इट कैन बी रिड्यूस्ड टु ऐबसर्डिटी (it can be reduced to absurdity) भिखारी है, वह भीख मांगें गेंदासिंह जी से, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन भिखारी गल्ला खरीदने जाता है तो भिखारी इस मुल्क के अन्दर रहता है, भिखारी को पुलिस की प्रोटेक्शन मिलती है, भिखारी को और ऐडवांटेजेज मिलते हैं एक सिटीजन होने के नाते इसलिये भिखारी टैक्स क्यों न दे यह मेरी समझ में नहीं आता।

फिर अच्छा साहब, हमने अमेंडमेंट पास कर दिया कि भिखारी टैक्स से माफ हुआ। अब दूकानदार को देखना यह पड़ेगा कि यह भिखारी है या नहीं क्योंकि उससे टैक्स नहीं लेगा। कैसे काबिले अमल होगा यह? भिखारी के क्या माने? कितने रुपये की आमदनी वाला भिखारी माना जायगा। बहुत से भिखारियों की आमदनी हमारे चपरासियों या क्लर्कों से ज्यादा है। इसलिये भिखारी की परिभाषा करनी मुश्किल है। तो यह इम्प्रैक्टिकेबिल बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कही गई कि फेयर प्राइस शाप्स से लिया जा रहा है टैक्स। अब फेयर प्राइस शाप्स की क्या फिगर्स हैं? उपाध्यक्ष महोदय, जो कोर्स ग्रेन एक रुपये का चार सेर बिकता है उससे शायद आठ गुना दस गुना गेहूं बिक रहा है जो कि एक रुपये का दो सेर दस छटांक बिकता है। अगर किसी के पास पर्चेजिंग पावर नहीं है या मान लो किसी के पास एक रुपया है तो उस दूकान से ४ सेर मोटा अनाज लेने के बजाय २ सेर १० छटांक का गेहूं लिया जा रहा है। तो फिर सेल्स टैक्स क्यों न लिया जाय? मेरे पास फिगर्स हैं, हर जिले की, हर महीने की। यह फेयर प्राइस शाप्स जो हैं यहां से २ सेर १० छटांक का गेहूं जो बिक रहा है वह दस गुना बिक रहा है अठगुना बिक रहा है कोर्स ग्रेन की अपेक्षा जो कि चार सेर का बिकता है। तो इससे क्या साबित होता है? इससे क्या भिखारी साबित होते हैं यदि नहीं, तो क्यों न एक पैसा टैक्स वह दे इस स्टेट एक्सचेकर को? मुझे वैसे मालूम नहीं है कि किस अवसर पर यह सवाल उठा था फेयर प्राइस शाप्स का, क्यों वह सवाल उठा कि फेयर प्राइस शाप्स से सेल्स टैक्स न लिया जाय। लेकिन भिखारीपन से शुरू करके फेयरप्राइस शाप्स तक आप पहुंचे, तो भिखारी में और उसमें बहुत लम्बा अन्तर है। तो यह तो तीन चार बातें माननीय गेंदा सिंह जी ने कही थीं जिनका जवाब मैंने दे दिया। एक बात माननीय नारायणदत्त जी ने कही थी कि साहब हमने तो पहले ही कह दिया था १९५६ में कि तुम्हारा आर्डिनेंस इनवैलिड होगा। मालूम नहीं आर्डिनेंस को कैसे इनवैलिड कर दिया था, क्योंकि उसके लिये तो हमने मश्विरा किया नहीं होगा किसी से। उसका तो सवाल ही नहीं उठता। उसका तो बिल आया होगा। फिर यह कि जब आपने नोटीफिकेशन निकाला था तब हमने कह दिया था। तो नोटीफिकेशन किसी से पूछकर नहीं निकाला। तो मुझे खुशी होती है कि वह अल्फाज सामने होते तकरीर के कि क्या कहा था। इस सारे मामले में केवल एक गलती ३१ मार्च की मान सकता हूं कि वह नहीं होनी चाहिये थी। अगरचे हर कानूनी बात की बाबत दो रायें हो सकती हैं, लेकिन यह जो दूसरा १९५७ के सितम्बर का ऐक्ट है इसके मुताल्लिक कोई आदमी यह कह ही नहीं सकता कि आपने यह जरूर गलती की। हमको तो स्पेशल लीव टु अपील भी मिली, लेकिन केवल इसलिये बिल ला रहे हैं कि उसमें महीनों लगेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आपने वकालत

पढ़ी भी होगी और की भी है। कानून का कोई बारीक प्वाइंट ऐसा नहीं है जिसके मुताल्लिक मुख्तलिफ रायें मुख्तलिफ अदालतों की न मिल जायं। एक भी चाहे ला आफ मारगेज ले लीजिये चाहे ला आफ लिमिटेशन ले लीजिये, कोई भी ले लीजिये हर मामले में दो रायें हो सकती हैं। फिर हमारे अफसरान इन्सान हैं। यह जरूरी नहीं है कि उनकी राय से हाईकोर्ट ऐग्री करे। जबकि हाईकोर्ट के जजेज आपस में ही डिफर करते हैं, जबकि हाई-कोर्ट के जजेज से सुप्रीमकोर्ट के जजेज डिफर करते हैं। इसलिये ऐसी सूरत में कोई आदमी यह कह सकता है कि हम इसको भी यह कहे देते हैं कि यह इनवैलिड होगा, या हमने पहले ही कहा था ? कोई नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, इस गवर्नमेन्ट के न मेम्बरान और न राज्य कर्मचारी यह दावा कर सकते हैं कि वह जो करेंगे हमेशा सही होगा, खासतौर से इन कानूनी मामलों में। तो यह तो बड़ी आत्म-प्रवंचना की बात है कि अगर कोई यह कहे कि हमने ऐसा कहा था, अगरचे साबित नहीं किया।

एक और प्रोनाउन्समेंट करके माननीय नारायणदत्त जी चले गये कि साहब यह बिल सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९४८ का अमेंडमेंट बिल होना चाहिये था, क्यों ? उसके अमेंडमेंट का क्या सवाल है ? सेपरेट ऐक्ट क्यों नहीं होना चाहिये ? और मैं कहता हूं कि वैलीडेटिंग ऐक्ट्स हमेशा सेपरेट ऐक्ट्स होते हैं। यह वैलीडेटिंग ऐक्ट है इसे सेपरेट होना चाहिये और इसमें अमेंडमेंट का कोई सवाल उठता नहीं। अगर सेपरेट ऐक्ट यह बिल बन जायगा तो यह हरगिज इनवैलिड नहीं है इस बिना पर कि यह सेपरेट है।

माननीय अवस्थी जी ने कहा कि आप पावर आफ़ रिव्यू ले रहे हैं, भला यह कैसे हो सकता है ? यह लेजिस्लेचर सुप्रीम अथारिटी है कोर्ट्स और एग्जीक्यूटिव के ऊपर। कोर्ट्स केवल यहां की कार्यवाही का इंटरप्रेटेशन करते हैं और एग्जीक्यूटिव हमारे आर्डर्स को कैरीआउट करती हैं। तो लेजिस्लेचर उसकी सुप्रीम अथारिटी है। अगर हाईकोर्ट ने या किसी भी और कोर्ट ने कोई डिग्री पास की हो तो इस लेजिस्लेचर को, जिसके माननीय मित्र सदस्य हैं, यह अधिकार है कि डिसाइडेड केसेज को वह रिओपन कर दें उसमें कोई बात अनकांस्टीट्यूशनल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, एक मित्र ने फ़रमाया था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी के बारे में। अब, आप, गस्ताखी माफ हो, उस वक्त पूछ बैठते कि इसमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी का जिक्र कैसे आ गया। चोट लगी घुटने को और आंख फूटी . . .

श्री मोतीलाल अवस्थी—यह विज्ञप्तियां क्या हैं ?

श्री चरणसिंह—यह डेलिगेटेड लेजिस्लेशन नहीं, न इसका कोई सवाल है।

क्वेश्चन आफ करोर्स इसमें कोई इन्वाल्व्ड नहीं है। जो बिल पास हो चुका था उस वक्त यह बात कही जा सकती थी कि करोड़ों रुपया इंवाल्व है। सब्सटेंस और प्रिन्सिपल में यह लेजिस्लेचर उस ऐक्ट को पास कर चुका। अब यह दलील पेश करना कि करोड़ों रुपया इन्वाल्व है यह बिलकुल बेमानी और गैरमुताल्लिक है। अब तो सवाल सिर्फ यह है कि लेजिस्लेचर ने जो ऐक्ट पास किया अगर उसमें कोई गलती रह गयी है तो उसकी दुरुस्ती की जाय या न की जाय।

लीगल ऐडवाइजर्स की नाकाबलियत के बारे में कहा गया, उसके मुताल्लिक मैं कह चुका कि लीगल मैटर्स में कोई आदमी डागमेटिक नहीं हो सकता।

गोविन्दसिंह जी ने कहा कि समय नहीं मिला। १ अप्रैल को यह बिल एक्स्ट्राआर्डिनरी गजट में प्रकाशित हो चुका था और सब माननीय मित्रों के घरों पर पहुंच गया होगा।

श्री उपाध्यक्ष—मेरा खयाल है कि एक अप्रैल के गजट को उन्होंने सीरियसली नहीं लिया होगा (हंसी)।

श्री चरणसिंह—यह हो सकता है। फिर परसों १२ बजे यह यहां पेश हो चुकजा तब से ले कर आज तक सवा २ दिन में २ खंड माननीय गोविन्दसिंह विष्ट न पढ़ सके। एक शिकायत यह की थी कि जजमेंट उनके पास नहीं है तो परसों ही मैंने कह दिया था कि आज शाम को मैं उनके कमरे में पहुंचा दूंगा। उनके दफ्तर में दोनों जजमेंट की कापीज पहुंचा दी गयीं।

[श्री चरणसिंह]

फिर शिकायत कैसी ? सजेशन के लिये इधर से कहा गया था। कोई बड़ी भारी पोथी नहीं थी। वकील हैं वे। २ खंड केवल टेक्निकल थे लेकिन कोई सजेशन नहीं आया। तो जितनी दलीलें पेश की गयी हैं इस प्रस्ताव के समर्थन में कि यह प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय वे कोई वजन नहीं रखतीं। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का विरोध करता हूं और अपने प्रस्ताव के लिये उम्मीद करता हूं कि सदन उसे स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (वैधीकरण) विधेयक, १९५८ इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (वैधीकरण) विधेयक, १९५८ [U. P. Sales Tax (Validation) Bill, 1958] पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, २ व ३

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१---(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (वैधीकरण) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

कुछ विज्ञप्तियों तथा उनके अनुसरण में किये गये कार्य का वैधीकरण।

२---(१) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री अथवा आज्ञा के होते हुये भी अनुसूची के भाग--क, भाग--ख तथा भाग--ग में निर्दिष्ट विज्ञप्तियां संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० की क्रमशः धारा ३, धारा ३-क तथा धारा ४ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके जारी की गई समझी जायंगी मानों कि उक्त धारायें विज्ञप्तियों के जारी होने के दिन उसी रूप में प्रचलित थीं जिस रूप में कि वे इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रचलित थीं और उक्त समस्त विज्ञप्तियां वैध होंगी तथा सदा ही वैध समझी जायंगी और तब तक प्रचलित बनी रहेंगी जब तक कि वे उक्त धाराओं में से किसी के अधीन जारी की गई किसी विज्ञप्ति द्वारा संशोधित, परिवर्तित अथवा रद्द न कर दी जायं।

कुछ मामलों में कार्यवाहियों का पुनर्विलोकन।

(२) की गई कोई वस्तु या क्रिया (जिसके अन्तर्गत दी गई कोई आज्ञा, की गई कोई कार्यवाही, जारी किये गये कोई निर्देश, प्रयुक्त कोई क्षेत्राधिकार, किया गया कोई कर-निर्धारण अथवा लगाया गया या वसूल किया गया कोई कर भी है) जो कि अनुसूची में निर्दिष्ट विज्ञप्तियों के अनुसरण में करने के अभिप्राय से की गई प्रतीत हों, वैध एवं विधिपूर्ण रूप से की गई समझी जायंगी।

३---यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी न्यायालय अथवा प्राधिकारी ने किसी कार्यवाही में किसी कर के निर्धारण, लगाने अथवा वसूल करने को केवल इस आधार पर रद्द अथवा परिवर्तित कर दिया हो कि कर-निर्धारक अधिकारी को अनुसूची में निर्दिष्ट किसी विज्ञप्ति के अनुसरण में कर के निर्धारण, लगाने अथवा वसूल करने का अधिकार न था तो कार्यवाही का कोई पक्ष अथवा बिक्री-कर आयुक्त इस अधिनियम के प्रारम्भ से ९० दिन के भीतर उस न्यायालय अथवा प्राधिकारी को कार्यवाही के पुनर्विलोकन के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है और तब वह न्यायालय अथवा प्राधिकारी कार्यवाही का पुनर्विलोकन करेगा और पहले दी गई आज्ञा को परिवर्तित या पुनरीक्षित करते हुये ऐसी आज्ञा

वेगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो ।

श्री फतेहसिंह राणा (जिला मेरठ)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (वैधीकरण) विधेयक, १९५८ में खंड १ के पश्चात् निम्नलिखित खंड १-क के रूप में बढ़ा दिया जाय:—

"१-क--इस अधिनियम में 'संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ से है ।"

श्रीमन्, यह ओरिजिनल ऐक्ट यूनाइटेड प्राविन्सेज ऐक्ट के नाम से था और उसमें मैं समझता हूं कि कोई ८-७ दफा संशोधन भी हुये और उसी नाम से हुये । इसलिये यह जरूरी है कि इसकी परिभाषा इस विधेयक में रख दी जाय । मैं आशा करता हूं कि आदरणीय सदन इसको स्वीकार करेगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि संशोधन की प्रतियां हम लोगों को नहीं मिली ।

श्री उपाध्यक्ष--वह पार्टी के लीडर्स को भेज दी गयी हैं । उनके यहां आप देख लें ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--हमको मिली नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष--वह श्री रामस्वरूप वर्मा को दी गयी थीं । सुबह भेज दी गयी हैं ।

श्री चरणसिंह--उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन मुझको स्वीकार है । अगर इसमें डिफरेन्स आफ ओपीनियन है और लोगों की राय यह है कि इसके लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसको स्पष्ट कर दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष--इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि अक्सर मंत्रीगण यह कहते हैं कि हम इसको स्वीकार करते हैं, तो स्वीकार करने का काम सदन का है । ज्यादा अच्छा हो अगर यह कहा जाय कि "मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है" ।

प्रश्न यह है कि खंड १ के पश्चात् निम्नलिखित खंड १-क के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"१-क--इस अधिनियम में 'संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ से है ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १, २ और ३ इस विधेयक के अंग मान जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा अनुसूची

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (वैधीकरण) विधेयक, १९५८

संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० के अधीन जारी की गयी कुछ विज्ञप्तियों क तथा उनके अनुसरण में किये गये किसी भी कार्य क वैधीकरण की व्यवस्था के निमित्त

विधेयक

सं० प्रा० ऐक्ट संख्या १५, १९४८।

यह इष्टकर है कि संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० के अधीन जारी की गई कुछ विज्ञप्तियों के तथा उनके अनुसरण में किये गये किसी भी कार्य के वैधीकरण की व्यवस्था की जाय।

अतएव, भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अनसूची

भाग—क

संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० की धारा ३ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके जारी की गई विज्ञप्तियां—

१—वित्त विभाग (लेखा तथा बिक्री-कर) विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-६०६८/१०—१०९७-५६, दिनांक ३० सितम्बर, १९५६ द्वारा अतिक्रमण के अधीन रहते हुये वित्त विभाग (लेखा तथा बिक्री-कर) विज्ञप्ति संख्या एस० टी०—९०९/१०, दिनांक ३१ मार्च, १९५६।

भाग—ख

संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० की धारा ३-क द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके जारी की गई विज्ञप्तियां—

१—वित्त विभाग (लेखा तथा बिक्री-कर) विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-९०५/१०, दिनांक ३१ मार्च, १९५६।

२—वित्त विभाग (लेखा तथा बिक्री-कर) विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-९०६/१०, दिनांक ३१ मार्च, १९५६।

३—वित्त विभाग (लेखा तथा बिक्री-कर) विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-९०७/१०, दिनांक ३१ मार्च, १९५६।

४—वित्त विभाग (लेखा तथा बिक्री-कर) विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-९०८/१०, दिनांक ३१ मार्च, १९५६।

५—वित्त विभाग (लेखा तथा बिक्री-कर) विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-९१२/१०, दिनांक ३१ मार्च, १९५६।

भाग—ग

संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० की धारा ४ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके जारी की गई विज्ञप्ति—

१—वित्त विभाग (लेखा तथा बिक्री-कर) विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-९११/१०, दिनांक ३१ मार्च, १९५६।

श्री फतेहसिंह राणा—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि अनुसूची के भाग—क की मद (१) में शब्द व संख्या "दिनांक ३० सितम्बर, १९५६" तथा शब्द "द्वारा अतिक्रमण के अधीन रहते हुये" के बीच में शब्द व संख्या "तथा विज्ञप्ति संख्या एस० टी०—६०६९/१०—१०९७-५६, दिनांक ३० सितम्बर, १९५६" रख दिये जायं।

इस नोटीफिकेशन का इसमें रखा जाना बहुत अनिवार्य है, इसलिये मैं आशा करता हूं कि आदरणीय सदन उसको स्वीकार करेगा ।

श्री उपाध्यक्ष---(वित्त मंत्री से) आपको कोई एतराज तो नहीं है ?

श्री चरणसिंह---कोई एतराज नहीं, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुसूची के भाग-क की मद (१) में शब्द व संख्या " दिनांक ३० सितम्बर, १९५६ " तथा शब्द " द्वारा अतिक्रमण के अधीन रहते हुये " के बीच में शब्द व संख्या "तथा विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-६०६९/१०---१०९७-५६, दिनांक ३० सितम्बर, १९५६" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग बन जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री चरणसिंह---मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (वैधीकरण) विधेयक, १९५८ पारित किया जाय ।

श्री गेंदासिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि यह विधेयक न पारित किया जाय । इसलिये न पारित किया जाय कि जो आपत्तियां उठायी गयीं और जिन आपत्तियों की तरफ माननीय सदन का ध्यान दिलाया गया उसका कतई ध्यान माननीय वित्त मंत्री जी ने नहीं रखा और उन्होंने फिर वही बातें दोहरायीं जो बातें पहली अप्रैल, १९५६ को की गयी थीं । यह बात ठीक है कि इस तरह का अक्लमंदी का काम करने के लिये जब भी वह फैसला करती है तो पहली अप्रैल को ही करती है । पहली अप्रैल को ही सरकार ने इस प्रकार का कर लगाने का फैसला किया था जिसको हमारे देश की अदालतों ने किसी प्रकार यह समझा कि यह कुछ अक्लमन्दी का काम नहीं है और उसको नामुनासिब करार दिया । इस वर्ष भी पहली अप्रैल को ही यह विधेयक लेकर सरकार इस माननीय सदन में आयी ।

श्री चरणसिंह---सदन में तो यह विधेयक तीसरी अप्रैल को आया ।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय गेंदासिंह से मैं कहूंगा कि जो संशोधन स्वीकृत हुये हैं, उन्हीं तक अपने भाषण को सीमित रखें ।

श्री गेंदासिंह---श्रीमन्, इसमें कुछ इस प्रकार के संशोधन सरकार ने स्वीकार किये हैं जिनका असर सारे विधेयक पर पड़ता है । जो बातें हम सरकार से सुनने की आशा करते थे वह भी हम समझते हैं कि निराशा में बदल गयीं इसलिये मैं अपना पवित्र कर्तव्य समझता हूं कि इस विधेयक का विरोध करूं और इस माननीय सदन से कहूं कि इसको हर्गिज न पास करें । जिनको हमने आजादी हासिल करने के बाद कुछ नहीं दिया है उनके ऊपर हम इस विधेयक के द्वारा टैक्स लगाने के अधिकार ले रहे हैं । यह तो बहुत ही अपवित्र काम है । जिन लोगों को आजादी हासिल करने के बाद हमने कुछ भी नहीं दिया है उनसे कुछ लेने का भी हक आपको नहीं है ।

श्री चरणसिंह---आप कौन होते हैं ?

श्री गेंदासिंह---आप, हम सभी । यह दलील कुछ समझ में नहीं आती कि जो भीख मांगने वाला सड़क पर सोता है उससे भी टैक्स ले लिया जाय क्योंकि वह फुट पाथ पर सोता है । वह बगैर अनाज के जी नहीं सकता इसलिये उससे टैक्स ले लेना चाहिये, बगैर कपड़े के आदमी रह नहीं सकता इसलिये टैक्स ले लेना चाहिये । अरे, टैक्स लेने का सिद्धान्त क्या मुझे समझाने की जरूरत पड़ेगी ? मैं समझता हूं कि टैक्स किस से लिया जाना चाहिये । माननीय वित्त

[श्री गेंदासिंह]

मंत्रीजी मुझसे ज्यादा समझते होंगे कि टैक्स किस से लिया जाय और किन कामों में उसको खर्च किया जाय । लेकिन सरकार इन दोनों कामों में गलती करती है । हर प्रकार से इस विधेयक के द्वारा हम उन्हीं चीजों में जा रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिये । मैं वित्त मंत्रीजी से तो कहूंगा ही नहीं, वे तो अपने अधिकारियों को हथियार देना ही चाहते हैं कि जो जी चाहे करो, अबतक अदालतें जो कुछ रोकती भी थीं उसमें भी अब खुली छूट है, लेकिन मैं उधर के बैठने वालों से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के अधिकार देकर हम इस मुल्क के रहने वालों के साथ भलाई नहीं करेंगे ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमान उपाध्यक्ष जी, मैं इस तृतीय वाचन के समय इसका विरोध करना चाहता हूं । मैं केवल एक दो बात ही कहना चाहता हूं । मुझे ऐसा भासित हुआ है कि माननीय वित्त मंत्री जी को उन अनुसूचियों में जिनमें खाद्यान्नों पर टैक्स लगाने की बात थी और जिसको वैलीडेट करने में उनको भय यह हुआ कि कहीं इसका विरोधी पक्ष वाले फायदा न उठा लें । उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जिनसे ऐसा मालूम हुआ कि जिन बातों के लिये सरकार कदम उठाना चाहती थी और हमारे बुजुर्ग वित्त मंत्री जी जिन बातों को चाहते थे, मालूम होता है कि मालमंत्री जी, जिन्होंने प्रथम बार इस विभाग का भार ग्रहण करके कार्य करना शुरू किया है, उन्होंने उसके विमुख कार्य किया है । कहीं ऐसा करने से उसका श्रेय विरोधी पार्टी वालों को न चला जाय, यह भय उनका बना रहा । इससे ऐसा मालूम होता है कि वह कोई सत्कार्य नहीं कर पायंगे क्योंकि जिस कार्य को वह करेंगे उसी में उनको शक रहेगा कि इसका यश विरोधी पार्टी को न चला जाय । लेकिन सरकार को हिम्मत के साथ काम करना चाहिये, उन्हें ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह देख रहा हूं कि आज भी इसके विरोध में जगह-जगह हड़तालें हो रही हैं, और इसके सम्बन्ध में विरोधी पक्ष की ओर से बहुत सी बातें कही गयीं लेकिन हमारे मंत्री जी ने उनका उपहास ही किया और ऐसी बातें बताई जो निराशाजनक थीं । अन्त में मैं इस बिल का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि इसे पास करने से हमें राहत नहीं मिल पायेगी अतः इसे पास न किया जाय ।

श्री चरण सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की स्पीचेज हुई हैं, उनका जवाब देना मैं गैर जरूरी समझता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (वैधीकरण) विधेयक, १९५८, जैसा कि वह सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ---

पक्ष में---६८,
विपक्ष में---१५ ।)

सत्रावसान के बाद प्रश्नों को व्यपगत न करने के लिए प्रार्थना

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---श्रीमन्, मेरा यह वैधानिक प्रश्न है कि माननीय मुख्य मन्त्री ने यह यह घोषणा की थी कि हम आज उठने के बाद २१ जुलाई को बैठेंगे । मेरे और हमारे बहुत से साथियों के और दूसरे माननीय सदस्यों के बहुत से प्रश्न हैं जो पिछले अगस्त और सितम्बर ५७ से दिये हुये हैं जिनके उत्तर हमें अभी तक नहीं मिले हैं । बीच में सत्रावसान हो गया था तो वे सब प्रश्न व्यपगत हो गये थे । हमारी प्रार्थना पर श्रीमान् ने उन्हें पुनर्जीवित करने की कृपा की थी । मैं समझता हूं आज भी उठने के बाद यह सत्रावसान हो जायगा और हमारे प्रश्न पुनः व्यपगत हो जायंगे । माननीय मुख्य मंत्री ने

यह भी घोषणा की थी कि जुलाई में जब सेशन होगा उसमें गवर्नर महोदय आकर भाषण देंगे तो वह नया सत्र होगा। मैं श्रीमान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे प्रश्नों को व्यपगत न माना जाय। साल भर से हमको उनके उत्तर नहीं मिले हैं। आगामी सत्र में हमको उनके उत्तर मिल जायं।

श्री उपाध्यक्ष---इस सम्बन्ध में जो व्यवस्था है उसको मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं। सदन के खत्म होने के बाद प्रो रोग होने पर वे सब प्रश्न लैप्स हो जाते हैं। उसके बाद दोबारा नोटिस दिया जाता है तो वे फिर से रिवाइव कर दिये जाते हैं। वही कार्यवाही जारी रहेगी। नई व्यवस्था जारी नहीं हो सकती है। प्रो रोग होने के बाद भी इस बात का माननीय सदस्यों को अधिकार रहता है कि उसी विषय पर वे अपने प्रश्नों को रिवाइव करा लें।

विधान सभा के सत्रावसान की सूचना

श्री उपाध्यक्ष---अब मैं उठने के पहले माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये राज्यपाल महोदय की २ विज्ञप्तियां सदन के सामने रख देना चाहता हूं।

पहली तो यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद १७४ के खंड (२) के उपखंड (ए) द्वारा मिले अधिकार का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश विधान सभा का सत्रावसान उसकी दिनांक ५ अप्रैल, १९५८ की बैठक की समाप्ति से करते हैं।

१९५८ के प्रथम सत्रारम्भ की सूचना

श्री उपाध्यक्ष---दूसरी यह है कि "भारत का संविधान" के अनुच्छेद १७४ के खंड (१) के अधीन मिले अधिकारों का उपयोग करके राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश विधान सभा को २१ जुलाई, १९५८ ई० को ११ बजे दिन से विधान भवन, लखनऊ में १९५८ ई० के प्रथम सत्र के लिये आहूत करते हैं।

(इसके बाद सदन ४ बज कर १ मिनट पर उठ गया।)

लखनऊ;
५ अप्रैल, १९५८।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तरप्रदेश।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—३३ एल० ए०—१९५८—८३५।